



2026: AHC : 29747: DB

ए.एफ.आर.

निर्णय आरक्षित करने की तिथि: 16.12.2025

निर्णय सुनाए जाने की तिथि: 11.02.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दांडिक अपील संख्या - 235 वर्ष 1984

राधा चरण शर्मा

.....अपीलार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

अपीलार्थी के अधिवक्ता : विशेष कुमार (न्यायमित्र)

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-प्रथम

(माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता द्वारा निर्णय किया गया)

1. अपीलार्थी के विद्वान न्यायमित्र श्री विशेष कुमार तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं विचारण न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान दांडिक अपील, विद्वान सत्र न्यायाधीश, मथुरा द्वारा सत्र विचारण संख्या 65 वर्ष 1983 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राधा चरण शर्मा)—जो पुलिस थाना राया, जनपद मथुरा के मुकदमा अपराध संख्या 36 वर्ष 1983, भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 302 से उद्भूत है—में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 19.01.1984 के विरुद्ध योजित की गई है, जिसके द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपराध हेतु दोषसिद्ध किया गया है और आजीवन कारावास के दंडादेश से दंडित किया गया है।
3. वर्तमान मामले में, प्रश्नगत घटना के संबंध में सूचना स्वयं अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा दिनांक 02.02.1983 को प्रातः 7:30 बजे पुलिस थाना राया में प्रस्तुत की गई एक लिखित रिपोर्ट के माध्यम से दी गई थी, जिसे मुकदमा अपराध संख्या 36 वर्ष 1983, भारतीय दंड

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संहिता की धारा 302 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। प्राथमिकी विशेष रूप से यह दर्शाती है कि रात्रि लगभग 12:00 बजे, सूचनाकर्ता का अपनी पत्नी प्रमिला के साथ झगड़ा हुआ था और उसने उसे धमकी दी थी कि 2-3 दिनों के भीतर वह उसे मरवा देगी। उक्त बातचीत को वह सहन नहीं कर सका और क्रोध के आवेश में (गुस्से में आकर), उसने उसकी गर्दन पर 'फरसे' से प्रहार किया जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। तथापि, देर रात होने के कारण वह रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु पुलिस थाने नहीं जा सका था, परंतु अब वह रिपोर्ट दर्ज कराने आया है।

4. स्वयं अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा दी गई उक्त लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-5) के आधार पर, एक 'चिक प्राथमिकी' (प्रदर्श क-6) तैयार की गई तथा उसकी तत्स्थानी सामान्य दैनंदिनी (जी.डी.) प्रविष्टि भी की गई, जिसकी कार्बन प्रति को 'प्रदर्श क-7' के रूप में चिह्नित किया गया है।
5. द्वितीय अधिकारी महेंद्र पाल सिंह (पीडब्ल्यू-6) की उपस्थिति में उक्त प्राथमिकी के पंजीकरण के पश्चात्, इस मामले का अन्वेषण उन्हें सौंप दिया गया। तत्पश्चात्, उन्होंने प्रधान मोहरिर कमल किशोर मिश्रा का कथन अभिलिखित किया और उसके उपरांत, अभियुक्त राधा चरण शर्मा का कथन अभिलिखित किया, जो स्वयं पुलिस थाने में ही उपस्थित था। उक्त कथन में, अभियुक्त-अपीलार्थी ने यह प्रकटीकरण (खुलासा) किया कि जिस फरसे से उसने अपनी पत्नी की हत्या की थी, उसे वह बरामद करा सकता है; तदनुसार,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसे अभिरक्षा में ले लिया गया और अन्वेषण अधिकारी अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ उसके घर पहुँचे, जहाँ कई व्यक्ति उपस्थित थे। उनमें से, हर प्रसाद और रेशम लाल को साक्षी के रूप में नियुक्त (नामित) किया गया और उनके समक्ष, अभियुक्त-अपीलार्थी 'कोठे' के भीतर गया तथा कोठे के अंदर से एक रक्त-रंजित (खून से सना) फरसा लेकर आया और उसे अन्वेषण अधिकारी को सौंप दिया, जिसे 'वस्तु प्रदर्श-1' के रूप में चिह्नित किया गया है। उक्त फरसे को कब्जे में लिया गया और उसका बरामदगी-पत्र (रिकवरी मेमो) तैयार किया गया, जिसे साबित कर 'प्रदर्श क-4' के रूप में चिह्नित किया गया है तथा जिस पर साक्षियों और साथ ही स्वयं अभियुक्त-अपीलार्थी के हस्ताक्षर हैं, जिसे बाद में रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया था।

6. अन्वेषण अधिकारी ने तत्पश्चात मृतका के शव का पंचायतनामा (इन्क्वेस्ट) किया और पंचायतनामा-रिपोर्ट तैयार की, जिसे साबित कर 'प्रदर्श क-10' के रूप में चिह्नित किया गया है। शव कोठे के बाहरी द्वार के पास पड़ा हुआ था, जिसका छायाचित्र (फोटोग्राफ) तैयार किया गया और उसे साबित कर 'प्रदर्श क-11' तथा 'क-12' के रूप में चिह्नित किया गया है। तत्पश्चात उन्होंने शव को सील कर अंत्यपरीक्षण (पोस्टमार्टम) हेतु भेज दिया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. अन्वेषण अधिकारी ने तत्पश्चात उस स्थान से, जहाँ शव पड़ा हुआ था, रक्त-रंजित मिट्टी और सादा मिट्टी एकत्र की तथा उसे अपने कब्जे में लेकर उसका बरामदगी-पत्र तैयार किया, जिसे साबित कर 'प्रदर्श क-13' के रूप में चिह्नित किया गया है।

8. मृतका - प्रमिला के शव का अंत्यपरीक्षण दिनांक 03.02.1983 को चिकित्सा अधिकारी डॉ एस.एस. सारस्वत (पीडब्ल्यू-4) द्वारा किया गया। चिकित्सक ने मृतका के शरीर पर निम्नलिखित चोटें अंकित की हैं:-

(i) दाहिने पिन्ना (कान के बाहरी भाग) के निचले हिस्से और चेहरे के दाहिनी ओर, दाहिने जबड़े की हड्डी के कोण के ठीक पास, 4 सेमी x 1 सेमी x मांसपेशी की गहराई तक कटा हुआ घाव । तिर्यक ।

(ii) गर्दन के ऊपरी भाग के दाहिनी ओर, सिर के जोड़ पर, दाहिने कान से 3 सेमी नीचे, 8 सेमी x 3 सेमी x हड्डी की गहराई तक कटा हुआ घाव। अनुप्रस्थ ; नीचे की हड्डी कटी हुई।

(iii) निचले जबड़े के दाहिनी ओर, दाहिने जबड़े की हड्डी के कोण के ठीक आगे , 2 सेमी x 1/2 सेमी x मांसपेशी की गहराई तक कटा हुआ घाव। तिर्यक।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) बाएँ गाल पर, मुँह के बाएँ कोण से 0.5 सेमी ऊपर, 1 सेमी x 1/4 सेमी x मांसपेशी की गहराई तक कटा हुआ घाव। तिर्यक।

(v) सिर के दाहिनी ओर, दाहिने कान से 9 सेमी ऊपर, 7 सेमी x 2 सेमी x हड्डी की गहराई तक कटा हुआ घाव। अनुप्रस्थ रूप से तिर्यक ; नीचे की हड्डी कटी हुई।

(vi) दाहिने कंधे और बांह के पार्श्व भाग पर 9 सेमी x 5 सेमी के क्षेत्र में गुमचोटों के साथ अनेक खरोंचें ।

(vii) पीठ पर 7 सेमी x 1/2 सेमी के हिस्से में, 2 सेमी x 9 सेमी के क्षेत्र में अनेक रैखिक खरोंचें ।

(viii) दाहिनी जांघ के निचले हिस्से के पिछले भाग पर 2 सेमी x 1/2 सेमी x मांसपेशी की गहराई तक कटा हुआ घाव। अनुप्रस्थ।

9. दाहिना कान पिन्ना के पास कटा हुआ पाया गया। दाहिनी पार्श्विका और पश्चकपाल हड्डियां कटी हुई पाई गईं। झिल्ली और मस्तिष्क क्षत-विक्षत (विदीर्ण) पाए गए। दाहिना पश्चकपालीय खात भी अस्थिभंग (फ्रैक्चर) पाया गया। आमाशय में 3 औंस सफेद रंग का द्रव पाया गया। छोटी आंतें खाली थीं। बड़ी आंतों में मल पदार्थ और गैसों पाई गईं।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. चिकित्सक ने शव से एक साड़ी, एक स्वेटर, एक पेटीकोट, एक नोज-पिन (नाक की कील) और बिछिया उतारकर उन्हें एक पैकेट में सील कर दिया, जिसे उस कांस्टेबल को सौंप दिया गया जो शव को लेकर आया था। चिकित्सक की राय में मृत्यु, मृत्युपूर्व चोटों के कारण उत्पन्न 'संमूर्च्छा' के परिणामस्वरूप हुई थी। चिकित्सक ने अंत्यपरीक्षण रिपोर्ट 'प्रदर्श क-8' को साबित किया, जो उनके द्वारा अंत्यपरीक्षण करते समय तैयार की गई थी।
11. चिकित्सक की राय में, मृत्यु का कारण पूर्वोक्त चोटों के कारण उत्पन्न संमूर्च्छा (कोमा) होना अंकित किया गया था।
12. अन्वेषण अधिकारी ने तत्पश्चात साक्षी हर प्रसाद और रेशम लाल का कथन अभिलिखित किया। रेशम लाल के कथन का उद्धरण (सार) निकाला गया और उसे 'प्रदर्श क-14' के रूप में चिह्नित किया गया है।
13. अन्वेषण अधिकारी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और नजरी नक्शा (साइट प्लान) तैयार किया, जिसे साबित कर 'प्रदर्श क-15' के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्होंने दिनांक 7 फरवरी, 1983 को महेंद्र पाल शर्मा का कथन भी अभिलिखित किया, जिन्होंने उन्हें दो पत्र सौंपे, जिन्हें सील कर साबित किया गया और 'प्रदर्श क-2' तथा 'क-3' के रूप में

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चिह्नित किया गया है, एवं बरामदगी-पत्र भी तैयार किया गया, जिसे साबित कर 'प्रदर्श क-16' के रूप में चिह्नित किया गया है।

14. उसी दिन, अन्वेषण अधिकारी ने साक्षी श्याम बाबू का कथन अभिलिखित किया, जिन्होंने भी उन्हें एक पत्र सौंपा, जिसे साबित कर 'प्रदर्श क-1' के रूप में चिह्नित किया गया है, जिसे भी सील किया गया और उसका बरामदगी-पत्र तैयार किया गया, जिसे साबित कर 'प्रदर्श क-17' के रूप में चिह्नित किया गया है।

15. अन्वेषण अधिकारी महेंद्र पाल सिंह ने दिनांक 07.02.1983 तक अन्वेषण का संचालन किया और तत्पश्चात, अन्वेषण उप-निरीक्षक (सब-इंस्पेक्टर) रवींद्र पाल सिंह को सौंप दिया गया, जिन्होंने अन्वेषण पूर्ण करने के उपरांत दिनांक 19.02.1983 को अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया, जिसे साबित कर 'प्रदर्श क-18' के रूप में चिह्नित किया गया है।

16. उक्त आरोप-पत्र के आधार पर, विद्वान मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया था; तथापि, चूँकि मामला अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए इसे सत्र न्यायालय को सुपुर्द (कमिट) कर दिया गया, जहाँ इसे 'सत्र विचारण संख्या 65 वर्ष 1983 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राधा चरण शर्मा)' के रूप में संख्यांकित किया गया। तदनुसार (इसके परिणामस्वरूप),

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिनांक 20.04.1983 को विद्वान सत्र न्यायाधीश, मथुरा ने अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आरोप विरचित (तय) किया, जिसे पढ़कर सुनाया गया और उसे हिंदी में समझाया गया, जिसने उक्त आरोप का प्रत्याख्यान (अस्वीकार) किया, स्वयं को निर्दोष बताया और विचारण किए जाने का दावा किया।

17. विचारण के दौरान, अभियोजन ने अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दोष सिद्ध करने के उद्देश्य से, 'तथ्य के दो साक्षियों' और तीन अन्य औपचारिक साक्षियों का परीक्षण किया। उनके साक्ष्य (कथन) संक्षेप में नीचे वर्णित हैं:-

18. अभियोजन साक्षी-1 (P.W.-1) महेंद्र पाल शर्मा मृतका के मामा हैं, जिन्होंने स्वयं मृतका द्वारा लिखे गए दो पत्र सौंपे थे, जिन्हें साबित कर 'प्रदर्श क-2' और 'क-3' के रूप में चिह्नित किया गया है; जो मृतका के हस्तलेख (हैंडराइटिंग) में बताए जाते हैं और जो उनके अनुसार, मृतका की हत्या से कुछ ही समय पूर्व प्राप्त हुए थे। पत्र (प्रदर्श क-1) उसके पिता शंकर लाल को उनके पते पर भेजा गया था, जो उसकी बहन इन्द्रेश को संबोधित था, जबकि पत्र (प्रदर्श क-2) उन्हें (पीडब्ल्यू-1 को) भेजा गया था। उन्होंने आगे यह साक्ष्य दिया कि दिनांक 28.01.1983 को प्राप्त हुए पत्र (प्रदर्श क-2) को पढ़ने के पश्चात, उनके लिए अगले दिन तक रुक पाना कठिन हो गया क्योंकि पत्र की विषयवस्तु अत्यंत गंभीर थी। इसके परिणामस्वरूप, ठीक अगले दिन अर्थात् दिनांक 29.01.1983 को वह प्रातः अपने गाँव से निकले और

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हरदुआगंज पहुँचे तथा तत्पश्चात शाम 6:00 बजे राया पहुँचे और राधा वल्लभ के घर रुके, जिसके घर में अभियुक्त-अपीलार्थी एक किरायेदार था और अपनी भांजी प्रमिला तथा साथ ही अभियुक्त-अपीलार्थी की भतीजी/भांजी मंजू के साथ रहता था; तथापि, उन तीनों में से कोई भी वहाँ उन्हें नहीं मिला। यद्यपि, अन्य किरायेदार उन्हें मिले, जिन्होंने उन्हें बताया कि अभियुक्त परसों ही दो अन्य लोगों के साथ जा चुका है। वह तत्पश्चात अलीगढ़ लौट आए और फिर गाजीपुर में अपने बहनोई के घर गए तथा उन्हें संपूर्ण घटना के बारे में अवगत कराया और फिर वापस अपने गाँव लौट आए। माह के प्रथम दिन (1 फरवरी को), उनके बहनोई शंकर लाल को एक पत्र (प्रदर्श क-1) प्राप्त हुआ और उक्त पत्र प्राप्त होने पर, उनके बहनोई ग्राम इमलानी पहुँचे और उनसे मिले। उक्त पत्र को पढ़ने के पश्चात, अगले दिन उन्होंने अपने भाई सतेन्द्र को प्रमिला को वापस लाने के लिए बधौन भेजा; तथापि, राया पहुँचने पर यह ज्ञात हुआ कि प्रमिला की उसके पति द्वारा पहले ही हत्या की जा चुकी है और उसका शव पुलिस थाने में पड़ा हुआ है। जब सतेन्द्र पुलिस थाने गए, तो उन्होंने पाया कि राधा चरण को हवालात (लॉक-अप) में बंद कर दिया गया था और शव को अंत्यपरीक्षण हेतु मथुरा भेज दिया गया था तथा तत्पश्चात उसे इमलानी ले जाया गया। बाद में, जब पुलिस उनसे मिली, तब उन्होंने वे तीनों पत्र (प्रदर्श क-1 से क-3) पुलिस को सौंप दिए थे।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



19. अभियोजन साक्षी-1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा (जिरह) में यह साक्ष्य दिया है कि वह 29 तारीख को राया पहुँचे थे, न कि 28 तारीख को, क्योंकि पत्र उन्हें 28 तारीख को ही प्राप्त हुआ था। उन्होंने आगे यह साक्ष्य दिया कि उन्होंने माह के प्रथम दिन अन्वेषण अधिकारी को यह सूचित किया था कि शंकर लाल को एक पत्र प्राप्त हुआ था, जो उनके पास आए थे, तब उन्होंने सतेन्द्र को बंधौन भेजा था; तथापि बाद में यह ज्ञात हुआ कि प्रमिला की उसके पति द्वारा हत्या कर दी गई है। हालांकि, यदि उक्त तथ्य अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिलिखित उनके कथन में उल्लिखित नहीं है, तो वह इसकी अनुपस्थिति का कोई कारण नहीं बता सकते हैं। पत्र (प्रदर्श क-2 और क-3) प्राप्त होने से पूर्व, उन्हें इस बात की कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी कि प्रमिला और उसके पति राधा चरण के मध्य कोई वैवाहिक अनबन (विवाद) था। पत्र (प्रदर्श क-3) जनवरी, 1983 में प्राप्त हुआ था; तथापि, उन्हें इसकी सही तिथि याद नहीं है। पत्र (प्रदर्श क-2), पत्र (प्रदर्श क-3) से पहले प्राप्त हुआ था। अभियुक्त एम.ए., बी.एड. है और सनकी नहीं है। उन्होंने आगे इस सुझाव का खंडन किया कि 'गुड़िया' (प्रमिला) उक्त विवाह से अप्रसन्न थी।

20. अभियोजन साक्षी-2 (PW-2) हर प्रसाद अभियुक्त राधा चरण के घर से फरसे की बरामदगी के दूसरे साक्षी हैं। उन्होंने अपने साक्ष्य में यह बताया कि राधा चरण की पत्नी की हत्या लगभग नौ माह पूर्व हुई थी; तथापि, उक्त हत्या उनके समक्ष कारित नहीं हुई थी। अभियुक्त

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



राधा चरण ने उनके समक्ष अपने कोठे से एक रक्त-रंजित फरसा निकाला था और उसे पुलिस को सौंप दिया था; तथापि, वह उक्त फरसे की पहचान नहीं कर सकते हैं। साक्षी को उक्त फरसा दिखाए जाने पर, उन्होंने यह साक्ष्य दिया कि वह यह नहीं कह सकते कि यह वही फरसा है जिसे अभियुक्त द्वारा पुलिस को सौंपा गया था; तथापि, फरसे को उनके समक्ष अन्वेषण अधिकारी द्वारा सील किया गया था, जिसका बरामदगी-पत्र मौके पर ही तैयार किया गया था और उन्होंने एक साक्षी के रूप में उस पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे साबित कर 'प्रदर्श क-4' के रूप में चिह्नित किया गया है, जिस पर उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं। संबंधित समय पर, रेशम लाल भी उनके साथ उपस्थित थे और उन्होंने भी उनके समक्ष बरामदगी-पत्र पर हस्ताक्षर किए थे।

21. प्रतिपरीक्षा के दौरान, उन्होंने यह बताया कि उनका घर अभियुक्त के घर से बीच में एक घर छोड़कर स्थित है। प्रातः यह ज्ञात हुआ था कि राधा चरण ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और पुलिस थाने चला गया है। उन्होंने आगे इस बात से इनकार किया कि उन्होंने न्यायालय में कोई शपथ-पत्र दिया है और न ही वह यह जानते हैं कि शपथ-पत्र क्या होता है। लगभग ढाई माह पूर्व वह न्यायालय आए थे परंतु न्यायालय कक्ष के भीतर नहीं आए थे। उन्हें राधा चरण का भाई लेकर आया था, जिसने एक कागज पर कुछ लिखा था जिस पर उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे; तथापि, वह उक्त कागज की विषयवस्तु नहीं जानते हैं। एक प्रार्थना-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पत्र, जिसे 'प्रदर्श ख-2' के रूप में चिह्नित किया गया है, की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किए जाने पर उन्होंने बताया कि उस पर दो स्थानों पर उनके हस्ताक्षर हैं और एक बार उस पर न्यायालय में हस्ताक्षर किए गए थे। शपथ-पत्रों, जिन्हें 'प्रदर्श ख-3' और 'ख-4' के रूप में चिह्नित किया गया है, की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किए जाने पर उन्होंने बताया कि उक्त शपथ-पत्रों पर चार स्थानों पर उनके हस्ताक्षर हैं। उनके वकालतनामे, जिसे '14-ख-1' के रूप में चिह्नित किया गया है, की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किए जाने पर उन्होंने बताया कि उस पर उनके हस्ताक्षर हैं। उन्होंने आगे यह साक्ष्य दिया कि उन्हें याद नहीं है कि किसी अधिवक्ता ने पंजिका (रजिस्टर) पर उनके हस्ताक्षर कराए थे या नहीं, हो सकता है उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए हों; तथापि, अधिवक्ता ने उन्हें वह कागज पढ़कर नहीं सुनाया था। वह दाऊदयाल अग्रवाल नामक किसी अधिवक्ता को नहीं जानते हैं परंतु यह बताया कि वह अधिवक्ता के साथ कागज दाखिल करने न्यायालय आए थे; तथापि, वह उनकी पहचान नहीं कर सके। उन्हें याद नहीं है कि न्यायाधीश द्वारा उनसे कोई प्रश्न पूछा गया था या नहीं। अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था, जो उन्होंने किए। संबंधित तिथि पर राधा चरण ने प्रातः लगभग 10-11:00 बजे एक फरसा सौंपा था। उन्होंने आगे इस सुझाव का खंडन किया कि उन्होंने कोई शपथ-पत्र प्रस्तुत किया था और यह

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कहना भी गलत है कि अन्वेषण अधिकारी के दबाव में वह शपथ-पत्र दाखिल करने की बात से इनकार कर रहे हैं।

22. अभियोजन साक्षी-3 कमल किशोर मिश्रा संबंधित तिथि अर्थात् 02.02.1983 को पुलिस थाने में मोहर्रिर थे; अभियुक्त राधा चरण द्वारा उन्हें सौंपे गए एक लिखित रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने 'चिक प्राथमिकी' तैयार की थी। उक्त लिखित रिपोर्ट अभियुक्त द्वारा लिखी और हस्ताक्षरित की गई थी, जिसके आधार पर चिक प्राथमिकी तैयार की गई, जिसे साबित कर 'प्रदर्श क-6' के रूप में चिह्नित किया गया है। उसी के आधार पर, तत्स्थानी सामान्य दैनंदिनी (जी.डी.) प्रविष्टि संख्या 14 भी तैयार की गई, जिसे साबित कर 'प्रदर्श क-7' के रूप में चिह्नित किया गया है। मामला पंजीकृत करने के पश्चात, उन्होंने अभियुक्त को अभिरक्षा में ले लिया था और उसे हवालात में बंद कर दिया था।

23. प्रतिपरीक्षा के दौरान, उन्होंने यह साक्ष्य दिया कि दिनांक 1/2-2-1983 की मध्यरात्रि से लेकर प्रातः 7:30 बजे तक कोई संज्ञेय रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी और न ही प्रश्नगत रिपोर्ट को पंजीकृत करने के पश्चात पूर्वाह्न 11:30 बजे तक कोई अन्य रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उन्होंने आगे इस सुझाव का खंडन किया कि घटना के संबंध में सूचना उन्हें रात्रि में ही पुलिस थाने में प्राप्त हो गई थी, जिसके आधार पर अन्वेषण अधिकारी घटना स्थल पर पहुँच गए थे। उन्होंने आगे इस बात से इनकार किया कि अभियुक्त को राया से पूछताछ हेतु पुलिस

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



थाने बुलाया गया था और उसकी लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-5) बलपूर्वक (जबरन) लिखवाई गई थी। सील किए गए फरसे को अन्वेषण अधिकारी द्वारा दिनांक 02.02.1983 को सायं 5:00 बजे पुलिस थाने में जमा किया गया था, जिसे दिनांक 10.02.1983 को मालखाने भेजा गया। अभियुक्त को भी अन्वेषण अधिकारी के साथ सायं 5:00 बजे पुलिस थाने लाया गया था। उन्होंने आगे यह बताया था कि अभियुक्त को दिनांक 03.02.1983 को सायं 6:00 बजे कारागार भेज दिया गया था और उसके पश्चात, सील किया गया फरसा कतिपय कारणों से सदर मालखाने में जमा नहीं किया जा सका और कांस्टेबल बहोरन सिंह द्वारा वापस ले आया गया, तथा तत्पश्चात दिनांक 10.02.1983 तक उसे वापस मालखाने नहीं भेजा गया; जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका। उन्होंने आगे बताया कि उन्हें याद नहीं है कि अपराध में प्रयुक्त हथियार (फरसे) को वापस लाने का कांस्टेबल बहोरन सिंह द्वारा कोई कारण बताया गया था या नहीं।

24. अभियोजन साक्षी-4 डॉ. एस.एस. सारस्वत वह चिकित्सा अधिकारी हैं, जिन्होंने दिनांक 03.02.1983 को मृतका के शव का अंत्यपरीक्षण किया था और अंत्यपरीक्षण रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे साबित कर 'प्रदर्श क-8' के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्होंने मृतका के शरीर पर आठ चोटें अंकित की थीं, जिन्हें अंत्यपरीक्षण रिपोर्ट में दर्शाया गया है और जिन पर निर्णय के पूर्ववर्ती भाग में पहले ही चर्चा की जा चुकी है। उक्त दस्तावेज की असलियत

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(प्रामाणिकता) को अभियोजन द्वारा स्वीकार किया गया था। आंतरिक परीक्षण करते समय, चिकित्सक ने पाया कि मृतका की दाहिनी पार्श्विका और पश्चकपाल हड्डी कटी हुई थीं तथा दाहिना पश्च कपालीय खात अस्थिभंग (फ्रैक्चर) था, एवं मृत्यु का कारण मृतका द्वारा उपहत (झेली गई) चोटें थीं। अभियोजन साक्षी-4 ने आगे यह साक्ष्य दिया कि उन्होंने फरसे (वस्तु प्रदर्श-1) का स्वयं अपने हाथों से परीक्षण किया था और चूँकि फरसे के किनारे धारदार नहीं थे, इसलिए मृतका के शरीर पर पाई गई चोटें उक्त फरसे से कारित नहीं की जा सकती थीं; तथापि, यदि प्रश्नगत फरसे के किनारों को तेज (धारदार) कर दिया जाए, तो उक्त चोटें उससे कारित की जा सकती थीं। परंतु फरसा जिस स्थिति में है, उसके प्रयोग किए जाने पर ऐसी चोटें कारित नहीं की जा सकती थीं; जो यद्यपि कटा हुआ घाव तो कारित कर सकता है परंतु उसके किनारे कुचले हुए (गुमचोट ग्रस्त) होंगे, जबकि वर्तमान मामले में किनारे 'सफाई से कटे हुए' पाए गए हैं। संबंधित कागज शव के साथ भेजे गए थे और मृतका के शरीर पर मौजूद चोटें उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं। इस प्रक्रम पर, उक्त साक्षी को पक्षद्रोही (होस्टाइल) घोषित कर दिया गया और लोक अभियोजक को उनकी प्रतिपरीक्षा करने का अवसर प्रदान किया गया।

25. लोक अभियोजक द्वारा प्रतिपरीक्षा किए जाने पर, अभियोजन साक्षी-4 (चिकित्सक) ने यह साक्ष्य दिया कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह इंगित नहीं किया है कि कटे हुए घावों के किनारे

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



'सफाई से कटे हुए' थे, बल्कि यह लिखा ही नहीं गया था कि किनारे सफाई से कटे हुए पाए गए थे या कुचले हुए पाए गए थे। केवल अपनी स्मृति के आधार पर उन्होंने यह बताया था कि वर्तमान मामले में किनारे सफाई से कटे हुए थे और वह भी इसलिए, क्योंकि घाव हड्डियों को काटते हुए पाए गए थे। उन्होंने आगे यह साक्ष्य दिया कि यदि उक्त फरसे (वस्तु प्रदर्श-1) से बलपूर्वक प्रहार किया जाए, तो हड्डियां कट सकती हैं।

26. अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षा किए जाने पर, अभियोजन साक्षी-4 ने बताया कि उक्त फरसे का फलक कुछ स्थानों पर खुरदरा है, जबकि कुछ स्थानों पर समतल है, परंतु धारदार नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि वह यह नहीं बता सकते कि मृतका के शरीर पर चोटें कारित करने के लिए कितने प्रहार किए गए थे। चोट संख्या 6 और 7 गिरने से या लाठी-डंडे से कारित की जा सकती थीं।

27. अभियोजन साक्षी-5 रेशम लाल अभियुक्त राधा चरण द्वारा निकाले गए फरसे की बरामदगी के दूसरे साक्षी हैं, जिन्होंने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि उनके समक्ष कोई फरसा बरामद नहीं हुआ था। अगले दिन, जब अपराहन लगभग 4:00 बजे शव को ले जाया गया, तो एक कांस्टेबल उनके पास आया और कहा कि वह कागज, जिसके आधार पर रक्त का परीक्षण किया जाना था, खराब हो गया है और इसलिए, उनसे दूसरे कागज पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया; तदनुसार, उन्होंने उक्त कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। संबंधित

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समय पर, जब कागज पर हस्ताक्षर किए गए थे, वह अपने खेत में घास काट रहे थे। संबंधित समय पर, जब उन्होंने कागज पर हस्ताक्षर किए थे, उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था और वह एक सादा कागज था। रक्त-रंजित फरसे के बरामदगी-पत्र (प्रदर्श क-4) की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किए जाने पर, उन्होंने यह स्वीकार किया कि उक्त कागज पर उनके हस्ताक्षर हैं। तथापि, उनके पूर्वोक्त साक्ष्य के आधार पर, उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया और लोक अभियोजक से उनकी प्रतिपरीक्षा करने का अनुरोध किया गया।

28. अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान, उसने यह साक्ष्य दिया कि उसने सुना था कि राधा चरण की पत्नी की हत्या कर दी गई है। उक्त घटना के पश्चात, अन्वेषण अधिकारी प्रातः लगभग 10-11:00 बजे उसके गाँव आए। अभियुक्त राधा चरण भी वहाँ उपस्थित था; तथापि, वह यह नहीं जानता कि राधा चरण अन्वेषण अधिकारी के साथ आया था या गाँव में पहले से ही उपस्थित था। वह पंचायतनामे का एक पंच साक्षी भी था। उक्त तिथि पर, अन्वेषण अधिकारी ने घटना स्थल से रक्त-रंजित मिट्टी और सादा मिट्टी भी एकत्र की थी तथा उसका बरामदगी-पत्र तैयार किया था, जिस पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। हर प्रसाद भी पंच साक्षियों में से एक था और उसके समक्ष पंचायतनामा-रिपोर्ट पर उसके (हर प्रसाद के) हस्ताक्षर भी प्राप्त किए गए थे; तथापि, रक्त-रंजित मिट्टी की बरामदगी के प्रपत्र पर उसके समक्ष उसके (हर प्रसाद के) द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। अपराहन लगभग 4:00 बजे,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसने पंचायतनामे और रक्त-रंजित मिट्टी के बरामदगी-पत्र पर हस्ताक्षर किए। संबंधित तिथि पर, राधा चरण ने उसके समक्ष फरसा प्रस्तुत नहीं किया था। संबंधित तिथि और समय पर, पुलिस ने दो कागजों पर उसके हस्ताक्षर कराए थे। अन्वेषण अधिकारी ने उससे कोई पूछताछ नहीं की और न ही उसका कथन अभिलिखित किया। उसने इस तथ्य से इनकार किया कि उसने अन्वेषण अधिकारी को कोई कथन दिया था। उसके शब्दों में (उद्धरण):-

"(i). मैंने पंचायतनामा पर दस्तखत करीब चार बजे किये और उसी समय मिट्टी के कागज पर भी दस्तखत किये।

(ii). राधा चरण ने उसी समय मेरे सामने कोठे से फरसा निकाल कर नहीं दिखाया था। उस दिन पुलिस ने मेरे दस्तखत केवल दो कागजों पर कराये।

(iii). अन्दर दरोगा जी ने मुझसे कभी कोई पूछताछ नहीं की। मुझे याद नहीं है कि दरोगा जी ने मेरा कोई बयान लिखा या नहीं। मैंने दरोगा जी को ये बयान नहीं दिया था कि आपने मेरे सामने मुलजिम राधा चरण से एक अदद फरसा जिसके फल पर खून लगा है, अन्दर वाले कोठे के उत्तरी-पश्चिमी कोने से निकालकर आपको दिया। जिसकी फर्द आपने लिखी व फरसा को एक कपड़े में रखकर सील किया। गवाह को बयान

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि मैंने दरोगा जी को ये बयान नहीं दिया, मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने मेरा ये बयान कैसे लिख लिया।

(iv). मैंने इस मुकदमे में पहले भी बयान हलफी लगाया था, मेरे सामने कोई फरसा, राधा चरन ने निकालकर पुलिस को नहीं दिया। मैं बयान हलफी देने स्वयं ही आया था, मुझे मुलजिम का भाई अथवा कोई नहीं लाया था। बयान हलफी दाखिल करने के लिए दाऊ दयाल वकील किया था, जिनको 20 रुपए मैंने दिये थे। ये बयान हलफी लगाने में इसलिए आया था कि मेरे घरवाले मुझे परेशान करते थे कि तुम तारीख पर कचहरी चले जाते हो और कोई घर का काम नहीं होता है, इसलिए मैंने सोचा कि बयान हलफी देने से कचहरी आने से छुट्टी हो जावेगी। ऐसी बात नहीं है कि मुलजिम के घरवाले मुझे परेशान कर रहे थे कि तुम बयान हलफी दे दो क्योंकि पता नहीं कि तुम तारीख पर क्या कहो क्या नहीं कहो। जो बयान हलफी दाखिल करने में मैंने खर्चा किया वो मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। ये कहना गलत है कि मैं राधा चरन को बचाने के लिए झूठ बोल रहा हूँ।"

29. अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षा किए जाने पर, उसने यह साक्ष्य दिया कि वह हर प्रसाद के साथ

शपथ-पत्र दाखिल करने आया था और वह शपथ-पत्र उसे तथा साथ ही हर प्रसाद को पढ़कर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सुनाया गया था। शपथ आयुक्त, जिन्होंने शपथ-पत्र पर शपथ दिलाई थी, ने भी उसे और साथ ही हर प्रसाद को वह (शपथ-पत्र) पढ़कर सुनाया था।

30. अभियोजन साक्षी-6 महेंद्र पाल सिंह प्रथम अन्वेषण अधिकारी हैं, जिन्होंने अपने साक्ष्य में यह बताया है कि फरवरी, 1983 में वह पुलिस थाना राया में द्वितीय अधिकारी के पद पर तैनात थे और उनकी उपस्थिति में प्राथमिकी पंजीकृत की गई थी, जिसे साबित कर 'प्रदर्शक-6' के रूप में चिह्नित किया गया है, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। उक्त मामले का अन्वेषण उन्हें सौंपा गया था, जिन्होंने तत्पश्चात पुलिस थाने में प्रधान मोहरीर कमल किशोर मिश्रा का कथन अभिलिखित किया और चूँकि, वर्तमान मामला स्वयं अभियुक्त राधा चरण के कहने पर पंजीकृत किया गया था, जो स्वयं भी पुलिस थाने में उपस्थित था, इसलिए उसका कथन भी वाद-दैनंदिनी में अभिलिखित किया गया, जिसे साबित कर 'प्रदर्शक-9' के रूप में चिह्नित किया गया है। अभियुक्त ने अपराध में प्रयुक्त हथियार अर्थात् फरसा बरामद कराने का प्रकटीकरण किया; तदनुसार, उसे अभिरक्षा में ले लिया गया और ग्राम भैंसरा स्थित उसके घर लाया गया, जहाँ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे; उनमें से, हर प्रसाद और रेशम लाल को साक्षी के रूप में नियुक्त किया गया और अभियुक्त उनके समक्ष कोठे के भीतर गया तथा एक रक्त-रंजित फरसा (वस्तु प्रदर्श-1) बाहर लेकर आया और उसे उन्हें (अन्वेषण अधिकारी को) सौंप दिया। उन्होंने उसका बरामदगी-पत्र तैयार किया, जिसे

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



साबित कर 'प्रदर्श क-4' के रूप में चिह्नित किया गया है और उस पर हर प्रसाद तथा रेशम लाल के हस्ताक्षर कराए। उन्होंने आगे इस सुझाव का खंडन किया कि रेशम लाल के हस्ताक्षर अगले दिन एक कांस्टेबल को भेजकर प्राप्त किए गए थे, जिस पर फर्द बरामदगी-पत्र तैयार किया गया है। उक्त फरसा प्रातः 10:00 बजे बरामद किया गया था, जिसे बाद में द्वितीय अन्वेषण अधिकारी रवींद्र पाल सिंह द्वारा रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया था; जिसकी रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट अभिलेख पर उपलब्ध है और उसे 'प्रदर्श क-23' के रूप में चिह्नित किया गया है। फरसे की बरामदगी करने के पश्चात, उन्होंने मृतका के शव का पंचायतनामा किया था और पंचायतनामा-रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे साबित कर 'प्रदर्श क-10' के रूप में चिह्नित किया गया है। तत्पश्चात, उन्होंने फोटो लाश और चालान लाश तैयार किए, जिन्हें साबित कर 'प्रदर्श क-11' और 'क-12' के रूप में चिह्नित किया गया है तथा उसके उपरांत, दो कांस्टेबलों—सुरेश सिंह और लाला राम—के माध्यम से शव को अंत्यपरीक्षण हेतु भेज दिया गया। उन्होंने आगे यह साक्ष्य दिया कि जिस स्थान पर शव रखा गया था, वहाँ रक्त गिरा हुआ था और उस स्थान से उन्होंने रक्त-रंजित मिट्टी तथा सादा मिट्टी एकत्र की थी एवं उसका बरामदगी-पत्र तैयार किया था, जिसे साबित कर 'प्रदर्श क-13' के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्होंने हर प्रसाद, रेशम लाल और अन्य पंच साक्षियों का कथन अभिलिखित किया। रेशम लाल के कथन को साबित कर 'प्रदर्श क-14' के रूप में चिह्नित किया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नजरी नक्शा उनके द्वारा तैयार किया गया है, जिसे साबित कर 'प्रदर्श क-15' के रूप में चिह्नित किया गया है। दिनांक 07.02.1983 को, उन्होंने महेन्द्र पाल शर्मा का कथन अभिलिखित किया, जिन्होंने उन्हें दो पत्र (वस्तु प्रदर्श-2 और 3) सौंपे थे, जिन्हें उनके द्वारा सील किया गया था तथा उसका बरामदगी-पत्र भी तैयार किया गया था, जिसे साबित कर 'प्रदर्श क-16' के रूप में चिह्नित किया गया है। उसी दिन, उन्होंने श्याम बाबू का कथन भी अभिलिखित किया, जिन्होंने उन्हें 'वस्तु प्रदर्श क-1' के रूप में चिह्नित एक पत्र सौंपा था, जिसे उनके द्वारा सील किया गया था और उसका बरामदगी-पत्र भी उनके द्वारा तैयार किया गया था, जिसे साबित कर 'प्रदर्श क-17' के रूप में चिह्नित किया गया है, जिस पर श्याम बाबू के हस्ताक्षर हैं।

31. प्रतिपरीक्षा किए जाने पर, उसने यह साक्ष्य दिया कि उसने अभियुक्त के घर के आस-पास रहने वाले कुछ साक्षियों का कथन अभिलिखित किया था, परंतु रामजी लाल, राम किशन, लेखराज, हेतराम या राम सिंह का कथन अभिलिखित नहीं किया; जिनके घरों को उसने अपने द्वारा तैयार किए गए नजरी नक्शा में दर्शाया है, जिसे साबित कर 'प्रदर्श क-15' के रूप में चिह्नित किया गया है। उसने आगे बताया कि वह गाँव में केवल दो बार गया था— पहला दिनांक 01.02.1983 को और दूसरा दिनांक 07.02.1983 को; परंतु उनमें से कोई भी उससे नहीं मिला। तथापि, उसने स्वयं में सुधार करते हुए यह बताया कि वस्तुतः दिनांक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



07.02.1983 को वह गाँव गया ही नहीं था, बल्कि दिनांक 07.02.1983 को जिन सभी साक्षियों के कथन दर्ज किए गए थे, वे वास्तव में पुलिस थाने में ही अभिलिखित किए गए थे। उसने आगे यह साक्ष्य दिया कि दिनांक 02.02.1983 को किसी ने भी यह जानकारी नहीं दी कि उन्होंने रात्रि में प्रमिला के चिल्लाने की आवाजें सुनी थीं या अभियुक्त को अपना घर छोड़कर जाते हुए देखा था; तथापि, मृतका की ननद के कथन में यह अंकित किया गया है कि घटना के दिन अभियुक्त अपने घर पर ही मौजूद था। मृतका की ननद का नाम विमलेश है, जो अलग रहती है परंतु उसका घर अभियुक्त राधा चरण के घर से जुड़ा हुआ है; और विमलेश राम किशन की पत्नी है, जिसका घर नजरी नक्शे में दर्शाए अनुसार पश्चिम दिशा में स्थित है। राम किशन और अभियुक्त राधा चरण की चारदीवारी एक ही है और उसका केवल एक निकास द्वार है। अन्वेषण अधिकारी ने आगे यह साक्ष्य दिया कि बरामदगी के संबंधित समय पर, जब अभियुक्त कोठे के भीतर गया था, वह (अन्वेषण अधिकारी) उस दीवार की चौखट पर खड़ा था जहाँ शव पड़ा हुआ था और फरसा दिखाई नहीं दे रहा था। उक्त फरसा उत्तर-पश्चिमी कोने में रखा हुआ था; तथापि, उसने यह पता लगाना आवश्यक नहीं समझा कि फरसा किसी वस्तु में छिपाकर रखा गया था या सामान्य रूप से वहीं रखा हुआ था। कोठे के भीतर अभियुक्त के साथ कोई नहीं गया था और वह अकेला ही अंदर गया था। जिस स्थान पर शव रखा हुआ था, उस चौखट पर रेशम लाल और हर प्रसाद उसके साथ

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपस्थित थे। वे जिस स्थान पर खड़े थे, वह लगभग 14 फीट लंबा था और उस स्थान पर केवल तीन व्यक्ति उपस्थित थे तथा अन्य लोग आँगन के बाहर थे। फर्द बरामदगी-पत्र, जिसे 'प्रदर्श क-4' के रूप में चिह्नित किया गया है, में तहरीर (लिखावट) और हस्ताक्षरों के मध्य कुछ रिक्त स्थान है, परंतु वह बहुत अधिक नहीं है। उसने आगे इस सुझाव का खंडन किया कि साक्षियों से सादे कागजों पर हस्ताक्षर कराए गए थे और तत्पश्चात उस पर बरामदगी-पत्र तैयार किया गया था। उसने आगे इस सुझाव का भी खंडन किया कि हत्या की सूचना किसी अन्य माध्यम से प्राप्त हुई थी और उक्त सूचना पाकर वह गाँव पहुँचा तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले आया, और उसके पश्चात बलपूर्वक लिखित रिपोर्ट लिखवाई गई; जिसे साबित कर 'प्रदर्श क-5' के रूप में चिह्नित किया गया है। उसने इस सुझाव का भी खंडन किया कि मात्र साक्ष्य गढ़ने के उद्देश्य से फरसे (वस्तु प्रदर्श-1) पर रक्त के फर्जी निशान लगाए गए थे। 'कड़ी के साक्ष्य' के रूप में किसी का भी कथन वाद-दैनंदिनी में अभिलिखित नहीं किया गया है; इसके अतिरिक्त, कांस्टेबल बहोरन सिंह का कथन भी दर्ज नहीं किया गया है। साथ ही, वाद-दैनंदिनी में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि फरसे को दिनांक 03.02.1983 को मालखाने भेजा गया था परंतु वहाँ जमा नहीं किया जा सका; यद्यपि, इसका उल्लेख सामान्य दैनंदिनी (जी.डी.) में किया गया हो सकता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



32. अभियोजन के साक्षियों का साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात, अभियुक्त-अपीलार्थी राधा चरण के समक्ष सभी दोषमढ़ने वाली (आपत्तिजनक) परिस्थितियों को रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत उसका कथन दर्ज किया गया। अभियुक्त-अपीलार्थी ने सभी आपत्तिजनक परिस्थितियों से इनकार किया और यह दावा किया कि उसे मिथ्या रूप से फंसाया गया है।

33. अपने बचाव में, अभियुक्त-अपीलार्थी ने दाऊदयाल अग्रवाल, अधिवक्ता का बचाव साक्षी-1 के रूप में परीक्षण कराया; जिन्होंने अपने साक्ष्य में यह बताया है कि वह कलेक्ट्रेट, मथुरा में वकालत करने वाले एक अधिवक्ता हैं। दिनांक 02.08.1983 को उन्होंने पुलिस थाना राया के ग्राम भैंसरा निवासी शिव लाल के पुत्र रेशम लाल और नत्था राम के पुत्र हर प्रसाद के शपथ-पत्र तैयार किए थे। 'प्रदर्श ख-1' एक वकालतनामा है, जिस पर हर प्रसाद और साथ ही रेशम लाल के हस्ताक्षर मौजूद हैं। 'प्रदर्श ख-2' एक प्रार्थना-पत्र है, जिस पर रेशम लाल और साथ ही हर प्रसाद के हस्ताक्षर हैं। 'प्रदर्श ख-3' हर प्रसाद का शपथ-पत्र है, जबकि 'प्रदर्श ख-4' रेशम लाल का शपथ-पत्र है, जिन पर उनके संबंधित हस्ताक्षर मौजूद हैं; जिनकी पहचान उनके (बचाव साक्षी-1) द्वारा की गई है। उक्त शपथ-पत्र दोनों शपथकर्ताओं—हर प्रसाद और रेशम लाल—को पढ़कर सुनाए गए थे तथा वे उनके अनुदेशों के अनुसार ही तैयार किए गए थे। तत्पश्चात, उक्त शपथ-पत्रों पर शपथ आयुक्त के समक्ष शपथ ली गई थी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



34. प्रतिपरीक्षा किए जाने पर, बचाव साक्षी-1 दाऊदयाल अग्रवाल ने यह साक्ष्य दिया कि वह हर प्रसाद तथा रेशम लाल से और साथ ही उनके साथ आए व्यक्ति से भली-भांति परिचित थे, एवं उनके इशारा करने पर उन्होंने हर प्रसाद और रेशम लाल की पहचान की थी; तथापि, उन्हें यह याद नहीं है कि दोनों शपथकर्ताओं की पहचान किसने की थी। उन्होंने आगे इस सुझाव का खंडन किया कि अभियुक्त राधा चरण का भाई दोनों शपथकर्ताओं को लेकर आया था और उनके कहने पर प्रार्थना-पत्र एवं शपथ-पत्र तैयार किए गए थे।

35. ऐसे तथ्यों के आलोक में, विद्वान विचारण न्यायालय ने विचारण के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का विश्लेषण करने के उपरांत तथा अभियुक्त एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत निवेदनों पर विचार करते हुए, अपीलार्थी को आरोपित अपराध का दोषी ठहराया है और तदनुसार उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास के दंडादेश से दंडित किया है।

36. उक्त निर्णय एवं आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर, अपीलार्थी द्वारा वर्तमान दांडिक अपील योजित की गई है।

37. आक्षेपित निर्णय एवं आदेश को चुनौती देते हुए, अपीलार्थी के विद्वान न्यायमित्र ने यह निवेदन प्रस्तुत किया है कि विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को पढ़ने,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उनका मूल्यांकन करने और उनकी व्याख्या करने में पूर्णतः त्रुटि की है तथा अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि एवं दंडादेश के निष्कर्ष अवैध रूप से अभिलिखित किए हैं; जो विधि की दृष्टि से दूषित हैं और अपास्त (रद्द) किए जाने योग्य हैं।

38. अपीलार्थी के विद्वान न्यायमित्र ने आगे यह निवेदन प्रस्तुत किया है कि यद्यपि वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में 'हेतुक' (मकसद / motive) का अत्यधिक महत्व होता है; तथापि, वर्तमान मामले में अभियोजन अभियुक्त द्वारा अपनी ही पत्नी की मृत्यु कारित करने जैसे गंभीर अपराध को अंजाम देने के 'हेतुक' को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी के विरुद्ध हेतुक के तथ्य को साबित करने के लिए, अभियोजन ने स्वयं मृतका द्वारा लिखे गए बताए जा रहे उन तीन पत्रों पर पूर्ण भरोसा किया है, जो उसके पिता (जिनहें पत्रावली पर प्रस्तुत ही नहीं किया गया) और साथ ही उसके मामा महेंद्र पाल शर्मा (अभियोजन साक्षी-1) को संबोधित थे। परंतु जब हम उक्त पत्रों की विषयवस्तु का ध्यानपूर्वक परिशीलन करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि उक्त पत्रों से अधिकतम जो आवश्यक अनुमान निकाला जा सकता है, वह मात्र यह है कि मृतका प्रमिला अपने पति (अभियुक्त-अपीलार्थी राधा चरण) के साथ प्रसन्नतापूर्वक नहीं रह रही थी और उसे प्रताड़ित करने तथा पीटने की छिटपुट घटनाएं हुई थीं। तथापि, केवल उक्त परिस्थिति की पृष्ठभूमि

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में, इसे मृतका की हत्या का अपराध कारित करने का कोई प्रबल हेतुक नहीं कहा जा सकता है। इसके बावजूद, विचारण न्यायालय ने उक्त पत्रों पर पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए अभियुक्त के आचरण को अपीलार्थी के विरुद्ध एक प्रबल हेतुक मान लिया है और उसी आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि एवं दंडादेश के निष्कर्ष अवैध तथा त्रुटिपूर्ण ढंग से दर्ज किए हैं; जो विधि की दृष्टि से दूषित हैं और अपास्त किए जाने योग्य हैं।

39. विद्वान न्यायमित्र द्वारा आगे यह इंगित किया गया है कि विचारण न्यायालय ने हेतुक के संबंध में निष्कर्ष अभिलिखित करते समय स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि "स्वयं मृतका द्वारा लिखे गए इन पत्रों से सामने आने वाले सभी तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी वह व्यक्ति 'हो सकता है', जिसने मृतका की हत्या की थी।"

40. विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित उक्त निष्कर्षों की आलोचना करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान न्यायमित्र ने यह निवेदन प्रस्तुत किया है कि वस्तुतः किसी व्यक्ति द्वारा हत्या किए जा सकने की 'संभावना होने' और निश्चित रूप से हत्या 'किए जाने' के निष्कर्षों के मध्य एक बड़ा अंतर होता है, विशेषकर परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



41. शरद बिरधीचंद सारडा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एस.सी.सी. 116 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित पांच स्वर्णिम सिद्धांत अर्थात परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले के प्रमाण का 'पंचशील' प्रतिपादित किया है:-

"(i). वे परिस्थितियां, जिनसे दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूर्णतः स्थापित होनी चाहिए। 'साबित हो सकता है' और 'अवश्य साबित होना चाहिए' के मध्य न केवल एक व्याकरणिक बल्कि एक विधिक अंतर है। यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने से पूर्व अभियुक्त केवल संभावित रूप से दोषी नहीं, बल्कि निश्चित रूप से दोषी होना चाहिए; तथा 'हो सकता है' और 'अवश्य होना चाहिए' के मध्य की मानसिक दूरी बहुत लंबी है जो अस्पष्ट अनुमानों को सुनिश्चित निष्कर्षों से पृथक करती है।

(ii). इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोषी होने की परिकल्पना के साथ ही सुसंगत होने चाहिए, अर्थात उनकी व्याख्या अभियुक्त के दोषी होने के अतिरिक्त किसी अन्य परिकल्पना के आधार पर नहीं की जा सकती चाहिए।

(iii). परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv). उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना के अतिरिक्त अन्य प्रत्येक संभव परिकल्पना को अपवर्जित (खारिज) करना चाहिए।

(v). साक्ष्य की कड़ियां इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि वे अभियुक्त के निर्दोष होने के सुसंगत निष्कर्ष के लिए कोई युक्तियुक्त आधार न छोड़ें, तथा यह दर्शाएं कि सभी मानवीय संभावनाओं के अंतर्गत वह कृत्य अवश्य ही अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।"

42. तथापि, वर्तमान मामले में, विचारण न्यायालय ने विधि के पूर्वोक्त पांच स्वर्णिम सिद्धांतों की पूर्णतः अनदेखी करते हुए, अत्यंत मनमाने और अयुक्तियुक्त ढंग से अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि एवं दंडादेश के निष्कर्ष दर्ज किए हैं; जो पूर्णतः अवैध तथा विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत हैं और इसलिए अपास्त (रद्द) किए जाने योग्य हैं।

43. अपीलार्थी के विद्वान न्यायमित्र ने आगे यह निवेदन प्रस्तुत किया है कि विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि एवं दंडादेश के निष्कर्ष अभिलिखित करते समय यह अभिनिर्धारित किया है कि स्वयं अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा पुलिस थाने में सौंपी गई लिखित रिपोर्ट को साक्ष्य में पूर्णतः अग्राह्य नहीं कहा जा सकता है और अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि एवं दंडादेश के निष्कर्ष दर्ज करने हेतु उस पर भरोसा किया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दर्ज किया गया उक्त निष्कर्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने कई निर्णयों में प्रतिपादित विधि के उस सुस्थापित सिद्धांत के भी विपरीत है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई संस्वीकृतिपरक (इकबालिया) प्रकृति की प्राथमिकी उसके विरुद्ध साक्ष्य में अग्राह्य होती है। विचारण न्यायालय ने स्वयं अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी की विषयवस्तु को एक ग्राह्य साक्ष्य मानकर भरोसा करने की स्पष्ट विधिक त्रुटि की है। अतः, इस संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण प्रत्यक्षतः अवैध तथा विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत है; और तदनुसार, विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश पूर्णतः अवैध, संपोषण के अयोग्य तथा विधि की दृष्टि से दूषित है और इसलिए अपास्त किए जाने योग्य है।

44. अपीलार्थी के विद्वान न्यायमित्र ने आगे यह निवेदन प्रस्तुत किया है कि यहाँ तक कि अभियुक्त-अपीलार्थी की निशानदेही पर की गई दर्शाई गई अपराध के हथियार अर्थात् फरसे की बरामदगी भी अभियोजन द्वारा ठोस और स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं की गई है तथा साक्ष्य के उक्त अंश पर भरोसा करने में कई कमियां (खामियां) हैं; इसके बावजूद, विचारण न्यायालय ने फरसे की बरामदगी के उक्त साक्ष्य पर पूर्ण भरोसा करते हुए उसे साबित मान लिया है और अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि के निष्कर्ष अभिलिखित किए हैं, जो विधि की दृष्टि से दूषित हैं और इसलिए अपास्त किए जाने योग्य हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



45. अपीलार्थी के विद्वान न्यायमित्र ने आगे यह निवेदन प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने वाले विचारण न्यायालय के निष्कर्ष इस परिस्थिति पर भी आधारित हैं कि अभियुक्त-अपीलार्थी अपने आचरण को तथा उस परिस्थिति को स्पष्ट करने में असमर्थ रहा है जिसके अंतर्गत उसके घर की चारदीवारी के भीतर उसकी पत्नी की हत्या की गई; जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत यथा-परिकल्पित उसका दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त एक दोषमढ़ने वाली परिस्थिति है। तथापि, उक्त निष्कर्ष भी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को गलत ढंग से पढ़ने और उनके त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन पर आधारित है और इसलिए पूर्णतः अवैध एवं भ्रामक है तथा अपास्त किए जाने योग्य है।

46. अपीलार्थी के विद्वान न्यायमित्र ने आगे यह निवेदन प्रस्तुत किया है कि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि साक्ष्य के पूर्वोक्त अंश पर भरोसा करने से पूर्व, अभियोजन के लिए यह ठोस और स्पष्ट रूप से साबित करना आवश्यक है कि संबंधित समय पर अभियुक्त अपने आवास पर या उसके आस-पास उपस्थित था, जिसके अभाव में उक्त प्रावधानों का अवलंब नहीं लिया जा सकता है।

47. अपीलार्थी के विद्वान न्यायमित्र ने आगे यह निवेदन प्रस्तुत किया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में अंतर्विष्ट प्रावधानों का अवलंब लेने से पूर्व, अभियोजन के लिए पहले आधारभूत (मौलिक) तथ्यों को स्थापित करना आवश्यक है ताकि सबूत का भार अभियुक्त पर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



स्थानान्तरित किया जा सके। यदि अभियोजन आधारभूत तथ्यों को स्थापित करने में विफल रहता है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधानों का अवलंब लेना अनुचित होगा। तथापि, वर्तमान मामले में, जब हम संपूर्ण साक्ष्यों का परिशीलन करते हैं, तो हम पाते हैं कि अभियोजन सबूत का भार अभियुक्त पर स्थानान्तरित करने हेतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधानों का अवलंब लेने से पूर्व आधारभूत तथ्यों को स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा है; फिर भी विचारण न्यायालय ने साक्ष्य के उक्त अंश पर पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि के निष्कर्ष दर्ज किए हैं, जो विधि की दृष्टि से दूषित हैं और इसलिए अपास्त किए जाने योग्य हैं।

48. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अभियोजन के मामले का समर्थन किया है और यह निवेदन प्रस्तुत किया है कि स्वयं मृतका द्वारा लिखे गए पत्रों के रूप में अभियोजन द्वारा सुझाया गया हेतुक (मकसद) साक्ष्य में ग्राह्य है, जो हेतुक के तथ्य को ठोस और स्पष्ट रूप से स्थापित करता है और जिसकी पृष्ठभूमि में अभियुक्त-अपीलार्थी ने मृतका की हत्या की थी। उस पर भरोसा करते हुए, विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय एवं आदेश के माध्यम से अभियुक्त-अपीलार्थी को सही रूप से दोषसिद्ध और दंडादेशित किया है; उक्त आदेश किसी भी प्रकार की अवैधता से ग्रस्त नहीं है और न ही इसे कोई त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण कहा जा सकता

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है, तथा इसलिए इसे अपास्त नहीं किया जा सकता और यह इस न्यायालय द्वारा पुष्ट (बहाल) किए जाने योग्य है।

49. राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय के उन निष्कर्षों का आगे समर्थन किया है, जिनमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभिकथित रिपोर्ट (प्रदर्श क-5) को अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दोष स्थापित करने के लिए एक ग्राह्य साक्ष्य माना जा सकता है; और इसलिए, ऐसे ग्राह्य साक्ष्य पर आधारित विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए दोषसिद्धि के निष्कर्ष न्यायोचित, उचित और विधिक हैं तथा इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं करते हैं।

50. राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आगे यह निवेदन प्रस्तुत किया है कि अपने ही घर में उसकी पत्नी की हत्या कैसे हुई, इस तथ्य का प्रकटीकरण न करने का अभियुक्त-अपीलार्थी का आचरण भी अभियुक्त-अपीलार्थी के मन की आपराधिक मनःस्थिति (दोषी ज्ञान) को स्थापित करने वाली एक प्रबल परिस्थिति है। यह सुस्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्त-अपीलार्थी मृतका का पति है और घटना उसके घर के भीतर घटित हुई थी, इसलिए उसे उस परिस्थिति की सर्वोत्तम जानकारी थी जिसके अंतर्गत उसके अपने घर में उसकी पत्नी की हत्या की गई; तथापि, अभियुक्त-अपीलार्थी इस तथ्य और परिस्थितियों को स्पष्ट करने में पूर्णतः विफल रहा है कि उसके घर के भीतर उसकी पत्नी की हत्या कैसे की गई, जो कि उसके विरुद्ध एक प्रबल परिस्थिति है। उक्त परिस्थिति पर भरोसा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करते हुए विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी को सही रूप से दोषसिद्ध किया है; इन निष्कर्षों को मनमाना और अवैध नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, इन्हें इस न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं किया जा सकता है।

51. राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आगे यह निवेदन प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी की निशानदेही पर अपराध के हथियार अर्थात् फरसे की बरामदगी भी अभियोजन द्वारा ठोस और स्पष्ट रूप से स्थापित की गई है तथा साक्ष्य के उक्त अंश पर भरोसा करते हुए, विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय एवं आदेश पारित कर अभियुक्त-अपीलार्थी को सही रूप से दोषसिद्ध किया है; जो किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं है और इसलिए, इसे इस न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं किया जा सकता है।

52. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार करने के उपरांत तथा विचारण के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों एवं विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को मुख्य रूप से निम्नलिखित आधारों पर दोषसिद्ध और दंडादेशित किया है:-

(i). अपराध कारित करने का हेतुक (मकसद)।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii). स्वयं अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी को एक ग्राह्य साक्ष्य माना गया है और ऐसे साक्ष्य पर भरोसा करते हुए, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि के निष्कर्ष अभिलिखित किए हैं।

(iii). अपराध कारित करने से पूर्व अभियुक्त का आचरण; विशेषकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधानों के आलोक में, अभियुक्त का यह स्पष्ट करने में विफल रहना कि उसके घर की चारदीवारी के भीतर उसकी अपनी पत्नी की हत्या कैसे की गई, जिसकी उसे विशेष जानकारी थी।

(iv). अंततः अभियुक्त के कहने पर अपराध के हथियार अर्थात् फरसे की बरामदगी का तथ्य।

53. तथापि, जब हम उक्त साक्ष्य पर आधारित विचारण न्यायालय के उन निष्कर्षों का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं, जिन पर दोषसिद्धि एवं दंडादेश का आक्षेपित निर्णय एवं आदेश पारित किया गया है, तो हम पाते हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए उक्त निष्कर्ष अनुमानों और अटकलों पर आधारित हैं तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने कई निर्णयों में प्रतिपादित विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत हैं।

54. आक्षेपित निर्णय में विचारण न्यायालय द्वारा जिस प्रथम तथ्य पर विचार किया गया है वह 'हेतुक' का है, और उक्त हेतुक को साबित मानते हुए उस पर पूर्ण भरोसा कर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि के निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं; तथापि, जब हम उक्त 'हेतुक' का

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं, तो हम पाते हैं कि वस्तुतः उक्त हेतुक के संबंध में निष्कर्ष विचारण न्यायालय द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व स्वयं मृतका द्वारा लिखे गए बताए जा रहे उन तीन पत्रों के आधार पर निकाला गया है, जिन्हें उसके मामा अभियोजन साक्षी-1 महेंद्र पाल शर्मा द्वारा अन्वेषण अधिकारी को सौंपा गया था तथा जिन्हें साबित कर 'प्रदर्श क-1', 'क-2' और 'क-3' के रूप में चिह्नित किया गया है। परंतु जब हम उक्त तीनों पत्रों की विषयवस्तु का परिशीलन करते हैं, तो हम पाते हैं कि वस्तुतः यह ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हैं जिससे यह अकाट्य अनुमान निकाला जा सके कि वह अपीलार्थी ही है और केवल अपीलार्थी है जिसने मृतका की हत्या की है। उक्त पत्रों से अधिकतम जो एकमात्र बात समझी जा सकती है, वह अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी पत्नी के प्रति अभियुक्त का आचरण है। उक्त पत्रों का परिशीलन केवल यह दर्शाता है कि पति और पत्नी के मध्य वैवाहिक संबंधों में कुछ कड़वाहट थी और जिसकी पृष्ठभूमि में मृतका अपीलार्थी का साथ छोड़ना चाहती थी।

55. हमारे मत में, यहाँ यह इंगित करना प्रासंगिक है कि केवल अभियुक्त के दिन-प्रतिदिन के आचरण के आधार पर यह अभिनिर्धारित करने के लिए कोई निश्चयक अनुमान नहीं निकाला जा सकता कि अपीलार्थी के पास मृतका की हत्या करने का कोई प्रबल हेतुक रहा होगा, विशेषकर परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में। यहाँ तक कि विचारण न्यायालय भी स्पष्ट रूप से उक्त निष्कर्ष दर्ज करते समय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि स्वयं मृतका द्वारा लिखे गए इन पत्रों से

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सामने आने वाले सभी तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त वह व्यक्ति 'हो सकता है' जिसने मृतका की हत्या की है।

56. इस प्रकार, उक्त निष्कर्षों से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय भी उक्त निष्कर्ष दर्ज करने में अनिर्णायक (अस्पष्ट) है तथा विचारण न्यायालय द्वारा उक्त निष्कर्ष केवल संदेह और संभावना के आधार पर दर्ज किए गए हैं, जिन्हें वस्तुतः ठोस और स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं किया गया है।

57. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि संदेह चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, वह प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता है। और वह भी तब, जब अभियुक्त द्वारा हत्या 'किए जा सकने की संभावना होने' और निश्चित रूप से हत्या 'किए जाने' के तथ्य के मध्य एक बड़ा अंतर हो।

58. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी दांडिक विचारण में, अभियोजन के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध अपने मामले को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करना आवश्यक होता है तथा केवल संदेह और संभावना पर आधारित निष्कर्षों के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती है।

59. अतः, पूर्वोक्त परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में, विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए हेतुक पर आधारित दोषसिद्धि के निष्कर्ष भ्रामक और अवैध हैं तथा तदनुसार, इन्हें विधि में संपोषित नहीं

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया जा सकता है और ये अपास्त किए जाने योग्य हैं। विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया इसके विपरीत दृष्टिकोण विधि की दृष्टि से दूषित है और अपास्त किए जाने योग्य है।

60. दूसरा आधार, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि एवं दंडादेश के निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं, वह हत्या की घटना की उस रिपोर्ट पर आधारित है, जिसे स्वयं अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा दर्ज कराया गया था और जो उसके स्वयं के हस्तलेख में है; जिसे विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का एक ग्राह्य अंग माना गया है। यहाँ यह इंगित करना प्रासंगिक है कि पूर्वोक्त साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए उक्त निष्कर्ष पूर्णतः भ्रामक हैं तथा **नारायण यादव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1603)** के मामले में पारित हालिया निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सुस्थापित सिद्धांत के विपरीत हैं; जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **फड्डी बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1964 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 123)** तथा **अघ्नू नगेसिया बनाम बिहार राज्य (1965 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 109)** के मामलों में पारित निर्णयों का अवलंब लेते हुए स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि :-

"19. फड्डी (पूर्वोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने यह कथन किया था कि :-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



'यदि अभियुक्त द्वारा दी गई प्राथमिकी में साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में यथा-परिभाषित कोई स्वीकृति अंतर्विष्ट है, तो उस स्वीकृति का उसके कर्ता के विरुद्ध उपयोग करने में कोई विधिक वर्जना (रोक) नहीं है जैसा कि अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत अनुमत है, बशर्ते कि ऐसी स्वीकृति दोषमढ़ने वाली (आपत्तिजनक) प्रकृति की न हो।'

निर्णय में माननीय न्यायाधीशों ने निसार अली के मामले (ए.आई.आर. 1957 एस.सी. 366) को निम्नलिखित पंक्तियों में सुभेद्य (भिन्न) माना:-

'परंतु हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जिस संदर्भ में यह संप्रेक्षण किया गया है और उन परिस्थितियों में, जिनका हमने उस मामले के अभिलेख से सत्यापन किया है कि सत्र न्यायाधीश ने दोषमुक्त किए गए सह-अभियुक्त द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट को निश्चित रूप से निसार अली के विरुद्ध अग्राह्य माना था, और उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में इसका बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया था; तो यह संप्रेक्षण वास्तव में एक ऐसी प्रथम सूचना रिपोर्ट को संदर्भित करता है जो उसके कर्ता द्वारा की गई संस्वीकृति की प्रकृति की है। निस्संदेह, एक संस्वीकृतिपरक प्रथम सूचना रिपोर्ट का उपयोग उसके कर्ता के विरुद्ध तब नहीं किया जा सकता जब वह एक अभियुक्त हो,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और अनिवार्य रूप से इसका उपयोग सह-अभियुक्त के विरुद्ध भी नहीं किया जा सकता है।' (बल दिया गया)

20. अघ्नू नगेसिया (पूर्वोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने यह सावधानी का स्वर उच्चारित किया था कि जब किसी अभियुक्त द्वारा दी गई प्राथमिकी के कथन में दोषमढ़ने वाली (आपत्तिजनक) सामग्री अंतर्विष्ट हो और उसमें से दोषमुक्त करने वाले (निरपराध ठहराने वाले) भाग को छानकर अलग करना कठिन हो, तो उस संपूर्ण कथन को साक्ष्य से अपवर्जित (बाहर) कर दिया जाना चाहिए।

21. फड्डी (पूर्वोक्त) के मामले में, इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या उसमें स्वयं अभियुक्त द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी साक्ष्य में ग्राह्य थी। उक्त मामले के तथ्यों में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी की ग्राह्यता के संबंध में उठाई गई आपत्ति ठोस (युक्तियुक्त) नहीं थी, क्योंकि प्राथमिकी में केवल कुछ ही स्वीकृतियां अंतर्विष्ट थीं, और वे स्वीकृतियां संस्वीकृति (इकबालिया बयान) की कोटि में नहीं आती थीं जिससे कि संपूर्ण प्राथमिकी को साक्ष्य में अग्राह्य बना दिया जाए। हम फड्डी (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा किए गए प्रासंगिक संप्रेक्षणों को नीचे उद्धृत करते हैं :-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



'14. अपीलार्थी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट साक्ष्य में अग्राह्य थी और इसलिए इसे अभिलेख पर नहीं लिया जाना चाहिए था। इसके समर्थन में, **निसार अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (ए.आई.आर. 1957 एस.सी. 366)** के रूप में प्रतिवेदित मामले का अवलंब लिया गया है। हमने इस तर्क पर विचार किया है और हमें इसमें कोई बल नहीं दिखाई देता है।

15. यह रिपोर्ट अपीलार्थी की संस्वीकृति नहीं है। यह अन्वेषण के दौरान किसी पुलिस अधिकारी को दिया गया कथन नहीं है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 इसकी ग्राह्यता को वर्जित (बाधित) नहीं करती हैं। यह रिपोर्ट अभियुक्त द्वारा कतिपय ऐसे तथ्यों की स्वीकृति है जो न्यायालय द्वारा अवधारित किए जाने वाले प्रश्न पर प्रभाव डालते हैं; अर्थात् गुलाब की हत्या कैसे और किसके द्वारा की गई थी, या अभियोजन साक्षियों के कतिपय कथनों की सत्यता से इनकार करने वाला न्यायालय में दिया गया अपीलार्थी का कथन सही है या नहीं। अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत स्वीकृतियां साक्ष्य में ग्राह्य होती हैं। धारा 17 'स्वीकृति' को एक ऐसे मौखिक या दस्तावेजी कथन के रूप में

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परिभाषित करती है, जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के संबंध में कोई अनुमान इंगित करता है, और जो अधिनियम में तत्पश्चात उल्लिखित व्यक्तियों में से किसी के द्वारा तथा उल्लिखित परिस्थितियों के अंतर्गत किया जाता है। धारा 21 यह उपबंध करती है कि स्वीकृतियां सुसंगत हैं और उन्हें उस व्यक्ति के विरुद्ध साबित किया जा सकता है जो उन्हें करता है। धारा 21 के दृष्टांत (ग), (घ) और (ङ) उन परिस्थितियों से संबंधित हैं जिनमें एक अभियुक्त अपनी स्वयं की उन स्वीकृतियों को साबित कर सकता है जो उसके पक्ष में जाती हैं; जो कि इस उपबंध के अपवादों के रूप में धारा 21 में उल्लिखित हैं कि स्वीकृतियों को उस व्यक्ति द्वारा साबित नहीं किया जा सकता जो उन्हें करता है। अतः यह स्पष्ट है कि किसी अभियुक्त की स्वीकृतियों को उसके विरुद्ध साबित किया जा सकता है।

16. प्रिवी काउंसिल ने, बहुत ही समरूप परिस्थितियों में, बहुत पहले दल सिंह बनाम किंग एम्परर (एल.आर. 44 आई.ए. 137) के मामले में ऐसी प्रथम सूचना रिपोर्टों को साक्ष्य में ग्राह्य अभिनिर्धारित किया था। उस मामले में पृष्ठ 142 पर यह कहा गया था:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"विचारण के समय अपना कथन देते समय दल सिंह द्वारा बताई गई कहानी की तुलना उस बात से करना महत्वपूर्ण है जो उसने पुलिस को दी गई उस रिपोर्ट में कही थी जिस पर उसने हस्ताक्षर किए थे, जो कि पर्याप्त रूप से प्रामाणिक दस्तावेज है। यह रिपोर्ट स्पष्ट रूप से ग्राह्य है। यह किसी भी अर्थ में संस्वीकृति नहीं थी। जैसा कि इसके निबंधनों से प्रतीत होता है, यह हरदुआ से जबलपुर जाते समय दल सिंह पर किए गए अभिकथित हमले के संबंध में मोहन और झुन्नी के विरुद्ध दी गई एक सूचना या आरोप की प्रकृति की थी। इस रूप में यह कथन उसके विरुद्ध उचित साक्ष्य है... यह देखा जाएगा कि यह कथन कई बिंदुओं पर उस बात से पूर्णतः भिन्न (असहमति में) है जो दल सिंह ने बाद में न्यायालय में कही थी। सत्र न्यायाधीश ने इस दस्तावेज को उसके बचाव को अविश्वसनीय बनाने वाला माना। उन्हें अभियोजन की कहानी और दल सिंह की ओर से बताई गई कहानी के मध्य विनिश्चय करना था।"

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन प्रस्तुत करते हैं कि उस मामले के तथ्य कतिपय मायनों में इस मामले के तथ्यों से सुभेद्य (भिन्न) थे। ऐसा अंतर, यदि कोई हो, तो उसका रिपोर्ट की ग्राह्यता के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रिपोर्ट को ग्राह्य इसलिए माना गया था क्योंकि वह संस्वीकृति नहीं थी और वह न्यायालय के समक्ष मामले का अवधारण करने में सहायक थी। "

'17. निसार अली के मामले (ए.आई.आर. 1957 एस.सी. 366) में, तथ्यों का वर्णन करने के पश्चात न्यायालय की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति कपूर ने यह कहा:

"इस रिपोर्ट की ग्राह्यता पर इस आधार पर आपत्ति की गई है कि यह एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई थी जो सह-अभियुक्त था। प्रथम सूचना रिपोर्ट साक्ष्य का कोई सारभूत (तात्विक) अंग नहीं है और इसका उपयोग साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के अंतर्गत केवल इसके कर्ता के कथन की संपुष्टि करने के लिए, या उक्त अधिनियम की धारा 145 के अंतर्गत इसका खंडन करने के लिए ही किया जा सकता है। यदि वह (कर्ता) स्वयं अभियुक्त बन जाता है, तो विचारण में उसके विरुद्ध इसका उपयोग साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है, और न ही अन्य साक्षियों की संपुष्टि या खंडन करने के लिए किया जा सकता है। अतः, इस मामले में यह साक्ष्य नहीं है।"

इन्हीं संप्रेक्षणों के आधार पर अपीलार्थी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उसकी रिपोर्ट साक्ष्य में अग्राह्य थी। प्रत्यक्षतः, यह अभिव्यक्ति कि "यदि कर्ता स्वयं

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियुक्त बन जाता है, तो विचारण में उसके विरुद्ध इसका उपयोग साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है", अपीलार्थी के तर्क का समर्थन करती है। परंतु हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जिस संदर्भ में यह संप्रेक्षण किया गया है और उन परिस्थितियों में, जिनका हमने उस मामले के अभिलेख से सत्यापन किया है कि सत्र न्यायाधीश ने दोषमुक्त किए गए सह-अभियुक्त द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट को निश्चित रूप से निसार अली के विरुद्ध अग्राह्य माना था, और उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में इसका बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया था; तो यह संप्रेक्षण वास्तव में एक ऐसी प्रथम सूचना रिपोर्ट को संदर्भित करता है जो उसके कर्ता द्वारा की गई संस्वीकृति (इकबालिया बयान) की प्रकृति की है। निस्संदेह, एक संस्वीकृतिपरक प्रथम सूचना रिपोर्ट का उपयोग उसके कर्ता के विरुद्ध तब नहीं किया जा सकता जब वह एक अभियुक्त हो, और अनिवार्य रूप से इसका उपयोग सह-अभियुक्त के विरुद्ध भी नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, ऊपर उद्धृत संप्रेक्षण का अंतिम वाक्य महत्वपूर्ण है और यह इंगित करता है कि न्यायालय का तात्पर्य यह था कि सह-अभियुक्त कुदरतुल्लाह द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट निसार अली के विरुद्ध साक्ष्य नहीं थी। इस न्यायालय का यह तात्पर्य नहीं था—क्योंकि उस मामले में उसे यह अवधारित नहीं करना था—कि जो प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्वीकृति नहीं है, उसका उपयोग

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत एक स्वीकृति के रूप में या उस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत एक सुसंगत कथन के रूप में नहीं किया जा सकता है। हम यह भी पाते हैं कि इस संप्रेक्षण को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **राज्य बनाम बालचंद (ए.आई.आर. 1960 राज. 101)** तथा **राजस्थान राज्य बनाम शिव सिंह (ए.आई.आर. 1962 राज. 3)** के मामले में, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **अल्लाहदिया बनाम राज्य (1959 ए.एल.जे. 340)** के मामले में इसी रूप में समझा गया है।

18. अतः हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि अपीलार्थी द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की ग्राह्यता के संबंध में उठाई गई आपत्ति ठोस नहीं है, तथा अधीनस्थ न्यायालयों ने इसे सही रूप से साक्ष्य में ग्राह्य माना है और इसका उचित उपयोग किया है।'

(बल दिया गया)

22. अब हम अघनू नगेसिया (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का परिशीलन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ 9 से 18 तक में इस न्यायालय के निम्नलिखित संप्रेक्षण सुसंगत हैं और नीचे उद्धृत किए गए हैं :-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"9. साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 किसी अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृतियों से संबंधित विधि के उपबंधों में से एक है। संस्वीकृतियों से संबंधित विधि सामान्यतः साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 से 30 तक में, तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 162 और 164 में पाई जाती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 से 31 तक 'स्वीकृतियां' शीर्षक के अंतर्गत पाई जाती हैं। संस्वीकृति, स्वीकृति की ही एक प्रजाति है और यह धारा 24 से 30 तक में विवेचित है। कोई संस्वीकृति या स्वीकृति उसके कर्ता के विरुद्ध साक्ष्य होती है, जब तक कि विधि के किसी उपबंध द्वारा उसकी ग्राह्यता को अपवर्जित (वर्जित) न कर दिया गया हो। धारा 24 कतिपय उत्प्रेरणाओं, धमकियों और वचनों के कारण की गई संस्वीकृति को अपवर्जित करती है। धारा 25 यह उपबंध करती है: 'किसी पुलिस अधिकारी से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी'। धारा 25 के निबंधन आज्ञापक (अनिवार्य) हैं। किसी भी परिस्थिति में पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। इसके अंतर्गत वह संस्वीकृति भी आती है जो उसने तब की थी जब वह स्वतंत्र था और पुलिस अभिरक्षा में नहीं था, तथा साथ ही वह संस्वीकृति भी आती है जो किसी अन्वेषण के आरंभ होने से पूर्व की गई थी। अभिव्यक्ति 'किसी अपराध का अभियुक्त' के अंतर्गत विचारण में किसी अपराध का

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियुक्त व्यक्ति आता है, चाहे संस्वीकृति करते समय उस पर उस अपराध का आरोप था या नहीं। धारा 26 किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए उसके द्वारा की गई संस्वीकृति को साबित किए जाने का प्रतिषेध (रोक) करती है, जब तक कि वह साक्षात् मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में न की गई हो। धारा 26 द्वारा अधिरोपित आंशिक वर्जना किसी पुलिस अधिकारी से भिन्न अन्य व्यक्ति से की गई संस्वीकृति से संबंधित है। धारा 26 किसी पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति पर धारा 25 द्वारा अधिरोपित पूर्ण वर्जना को शिथिल नहीं करती है। धारा 27 एक परंतुक के रूप में है, और यह धारा 24, 25 और 26 द्वारा अधिरोपित वर्जना को आंशिक रूप से हटाती है। यह उपबंध करती है कि जब किसी तथ्य के बारे में यह साक्ष्य दिया जाता है कि वह पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से प्राप्त सूचना के परिणामस्वरूप खोजा (बरामद किया) गया है, तो ऐसी सूचना का उतना भाग—चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आता हो या नहीं—जो इस प्रकार खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित है, साबित किया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162, परंतुक में उल्लिखित तथा उप-धारा (2) के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर, अन्वेषण के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को दिए गए किसी भी कथन का अन्वेषण के अधीन अपराध के संबंध में किसी भी जांच या विचारण

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में किसी भी प्रयोजनार्थ उपयोग किए जाने का प्रतिषेध करती है, और यह विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध करती है कि इसमें अंतर्विष्ट किसी भी बात को साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों को प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा। धारा 162 के शब्द इतने व्यापक हैं कि वे अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति को अपने अंतर्गत समाविष्ट कर लेते हैं। अन्वेषण के दौरान दिए गए किसी कथन या संस्वीकृति को इस धारा द्वारा अधिरोपित सुरक्षोपायों के अधीन रहते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत किसी मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया जा सकता है। इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 द्वारा यथा-उपबंधित को छोड़कर, किसी अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति को साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत पूर्ण संरक्षण प्राप्त है, और यदि वह अन्वेषण के दौरान की गई है, तो वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 द्वारा भी संरक्षित है, तथा पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से की गई संस्वीकृति धारा 26 द्वारा संरक्षित है, जब तक कि वह साक्षात् मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में न की गई हो। ये उपबंध इस दृष्टिकोण पर आधारित प्रतीत होते हैं कि किसी अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृतियों या पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए उसके द्वारा की गई संस्वीकृतियों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, और उसके विरुद्ध

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



साक्ष्य में उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ये लोक नीति के आधारों पर आधारित हैं और इन्हें पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए।

10. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 प्रथम सूचना को अभिलिखित किए जाने का उपबंध करती है। सूचना रिपोर्ट अपने आप में कोई सारभूत साक्ष्य नहीं है। यदि सूचनाकर्ता को एक साक्षी के रूप में बुलाया जाता है, तो इसका उपयोग साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के अंतर्गत सूचनाकर्ता की संपुष्टि करने के लिए या अधिनियम की धारा 145 के अंतर्गत उसका खंडन करने के लिए किया जा सकता है। यदि प्रथम सूचना स्वयं अभियुक्त द्वारा दी जाती है, तो उसके द्वारा सूचना दिए जाने का तथ्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत उसके आचरण के साक्ष्य के रूप में उसके विरुद्ध ग्राह्य है। यदि सूचना एक असंस्वीकृतिपरक कथन है, तो वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत एक स्वीकृति के रूप में अभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य है और सुसंगत है; देखें **फड़्डी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, दांडिक अपील संख्या 210 वर्ष 1963, दिनांक 24-1-1964 (ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 1850)**, जिसमें निसार अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (ए.आई.आर. 1957 एस.सी. 366) तथा दल सिंह बनाम किंग एम्परर (1916-17) 44 आई.ए. 137 (ए.आई.आर. 1917 पी.सी. 25) की व्याख्या की गई है। परंतु किसी पुलिस अधिकारी को दी गई संस्वीकृतिपरक प्रथम

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सूचना रिपोर्ट का उपयोग साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के दृष्टिगत अभियुक्त के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है।"

11. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 'संस्वीकृति' (इकबालिया बयान) को परिभाषित नहीं करता है। लंबे समय तक, भारत में न्यायालयों ने स्टीफंस डाइजेस्ट ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस के अनुच्छेद 22 में दी गई 'संस्वीकृति' की परिभाषा को अपनाया। उस परिभाषा के अनुसार, संस्वीकृति किसी अपराध के आरोपित व्यक्ति द्वारा किसी भी समय की गई एक ऐसी स्वीकृति है, जो यह कथन करती है या यह अनुमान इंगित करती है कि उसने वह अपराध कारित किया है। इस परिभाषा को प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति द्वारा पकाला नारायणस्वामी बनाम एम्परर (1938-39) 66 आई.ए. 66 (ए.आई.आर. 1939 पी.सी. 47, पृष्ठ 52) के मामले में त्याग (अस्वीकार कर) दिया गया था। लॉर्ड एटकिन ने यह संप्रेक्षण किया:

"...कोई भी कथन जिसमें स्वयं को दोषमुक्त करने वाली (निरपराध बताने वाली) बात अंतर्विष्ट हो, वह संस्वीकृति की कोटि में नहीं आ सकता; यदि वह दोषमुक्त करने वाला कथन किसी ऐसे तथ्य के संबंध में है जो यदि सत्य हो, तो उस अपराध को ही नकार देगा जिसके इकबाल किए जाने का अभिकथन है। इसके अतिरिक्त, एक संस्वीकृति में या तो स्पष्ट रूप से अपराध को स्वीकार किया जाना चाहिए, या कम से कम सारभूत

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रूप से उन सभी तथ्यों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो उस अपराध को गठित करते हैं। किसी अत्यंत गंभीर दोषमढ़ने वाले (आपत्तिजनक) तथ्य की स्वीकृति, यहाँ तक कि किसी अकाट्य दोषमढ़ने वाले तथ्य की स्वीकृति भी अपने आप में संस्वीकृति नहीं है; उदाहरण के लिए, यह स्वीकृति कि अभियुक्त उस चाकू या रिवॉल्वर का स्वामी है और हाल ही में उसके कब्जे में था जिससे मृत्यु कारित हुई, और जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे का कोई स्पष्टीकरण न हो।"

इन संप्रेक्षणों को इस न्यायालय द्वारा पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य (1952) 2 एस.सी.सी. 177 (ए.आई.आर. 1952 एस.सी. 354, पृष्ठ 357) के मामले में अनुमोदन प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देओमन उपाध्याय (1961) 1 एस.सी.आर. 14, पृष्ठ 21 (ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 1125, पृष्ठ 1128-1129) के मामले में न्यायमूर्ति शाह ने संस्वीकृति को एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए कथन के रूप में संदर्भित किया जो यह बताता है या यह अनुमान इंगित करता है कि उसने अपराध कारित किया है।

12. संक्षेप में कहें तो, संस्वीकृति को अपराध के आरोपित व्यक्ति द्वारा अपराध की स्वीकृति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक कथन जिसमें स्वयं को दोषमुक्त करने वाली बात अंतर्विष्ट हो, वह संस्वीकृति की कोटि में नहीं आ सकता; यदि वह दोषमुक्त करने वाला कथन किसी ऐसे तथ्य के संबंध में है जो यदि सत्य हो, तो उस अपराध को ही

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नकार देगा जिसके इकबाल किए जाने का अभिकथन है। यदि किसी अभियुक्त की स्वीकृति का उपयोग उसके विरुद्ध किया जाना है, तो उस संपूर्ण कथन को साक्ष्य में प्रस्तुत किया जाना चाहिए; और यदि स्वीकृति का एक भाग दोषमुक्त करने वाला है और एक भाग दोषमढ़ने वाला (अपराधी ठहराने वाला) है, तो अभियोजन को केवल दोषमढ़ने वाले भाग का साक्ष्य में उपयोग करने की स्वतंत्रता नहीं है। देखें **हनुमंत गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1952) 2 एस.सी.सी. 71 (ए.आई.आर. 1952 एस.सी. 343, पृष्ठ 350)** तथा **(1952) 2 एस.सी.सी. 177 (ए.आई.आर. 1952 एस.सी. 354)**। अभियुक्त इस बात पर बल देने का अधिकारी है कि दोषमुक्त करने वाले भाग सहित संपूर्ण स्वीकृति को साक्ष्य में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। परंतु यह सिद्धांत अभियुक्त के लिए वहाँ किसी भी प्रकार सहायक नहीं है जहाँ उसके कथन का कोई भी भाग स्वयं को दोषमुक्त करने वाला नहीं है; और अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण कथन का उपयोग करने का आशय रखता है।

13. अब, एक संस्वीकृति कई भागों से मिलकर बनी हो सकती है और यह न केवल अपराध के वास्तविक कारित किए जाने को प्रकट कर सकती है, बल्कि अभियुक्त के हेतुक (मकसद), तैयारी, अवसर, प्रकोपन (उकसावे), प्रयुक्त हथियारों, आशय, हथियार को छिपाने और उसके पश्चात के आचरण को भी प्रकट कर सकती है। यदि संस्वीकृति दूषित है, तो वह दोष उसके प्रत्येक भाग से जुड़ जाता है। विधि में यह अनुज्ञेय (स्वीकार्य) नहीं है कि एक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भाग को पृथक कर लिया जाए और उसे एक असंस्वीकृतिपरक कथन के रूप में साक्ष्य में ग्राह्य मान लिया जाए। प्रत्येक भाग किसी न किसी दोषमढ़ने वाले तथ्य को प्रकट करता है; अर्थात् कोई ऐसा तथ्य जो अपने आप में या अन्य स्वीकृत या साबित तथ्यों के साथ मिलकर यह अनुमान इंगित करता है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया है, और यद्यपि प्रत्येक भाग को अकेले लिए जाने पर वह संस्वीकृति की कोटि में नहीं आ सकता है, परंतु उनमें से प्रत्येक एक संस्वीकृतिपरक कथन का अंग होने के कारण संस्वीकृति के ही चरित्र को धारण करता है। यदि किसी कथन में किसी अपराध की स्वीकृति अंतर्विष्ट है, तो न केवल वह स्वीकृति बल्कि उस कथन में अंतर्विष्ट किसी आपत्तिजनक तथ्य की अन्य प्रत्येक स्वीकृति भी उस संस्वीकृति का ही अंग है।

14. यदि संस्वीकृति के प्रमाण को विधि के किसी उपबंध—जैसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 24, 25 और 26—द्वारा अपवर्जित (बाहर) कर दिया जाता है, तो छोटे-मोटे आपत्तिजनक तथ्यों की स्वीकृतियों सहित संपूर्ण संस्वीकृतिपरक कथन को उसके सभी भागों सहित अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए; जब तक कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 जैसे किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत इसके प्रमाण की अनुमति न हो। यदि किसी संस्वीकृतिपरक कथन में आपत्तिजनक तथ्यों की स्वीकृति को साबित करने की अनुमति दे दी जाए, तो धारा 24, 25 और 26 में बहुत कम सार और प्रभाव शेष रह जाएगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15. कभी-कभी, किसी कथन का एक अकेला वाक्य बिल्कुल भी संस्वीकृति की कोटि में नहीं आ सकता है। दंड संहिता, 1860 की धारा 304-क के अंतर्गत आरोपित किसी व्यक्ति के मामले को लें, और उसके द्वारा पुलिस अधिकारी को दिए गए इस कथन को देखें कि "मैं नशे में था; मैं 80 मील प्रति घंटे की गति से कार चला रहा था। मैं सड़क पर 80 गज की दूरी पर 'क' को देख सकता था; मैंने हॉर्न नहीं बजाया; मैंने कार रोकने का कोई प्रयास नहीं किया; कार ने 'क' को टक्कर मार दी"। इस कथन का कोई भी एक अकेला वाक्य संस्वीकृति की कोटि में नहीं आता है; परंतु संपूर्ण कथन को एक साथ पढ़े जाने पर यह दंड संहिता, 1860 की धारा 304-क के अंतर्गत एक अपराध की संस्वीकृति गठित करता है, और प्रत्येक वाक्य को अलग-अलग एक असंस्वीकृतिपरक कथन के रूप में साक्ष्य में ग्राह्य मानना अनुज्ञेय नहीं होगा। पुनः, एक ऐसा मामला लें जहाँ किसी कथन का एक अकेला वाक्य किसी अपराध की स्वीकृति की कोटि में आता है। 'क' यह कथन करता है कि "मैंने 'ख' को टाँगी से मारा और उसे चोट पहुँचाई"। उस चोट के परिणामस्वरूप 'ख' की मृत्यु हो गई। 'क' ने अपराध कारित किया है और वह दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आरोप के योग्य है। जब तक कि वह अपने मामले को सुस्वीकृत अपवादों में से किसी एक के अंतर्गत नहीं लाता है, उसका कथन एक अपराध की स्वीकृति गठित करता है; परंतु कथन के अन्य भाग—जैसे हेतुक, तैयारी, प्रकोपन का अभाव, हथियार को छिपाना और उसके पश्चात

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का आचरण—ये सभी अपराध की गंभीरता तथा अभियुक्त के आशय एवं ज्ञान पर प्रकाश डालते हैं, तथा व्यक्तिगत बचाव के अधिकार, दुर्घटना और अन्य संभावित बचाओं को पूरी तरह नकार देते हैं। संस्वीकृतिपरक कथन में अंतर्विष्ट किसी आपत्तिजनक तथ्य की प्रत्येक स्वीकृति उस संस्वीकृति का ही अंग है।

16. यदि संस्वीकृति साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 में यथा-परिकल्पित किसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन के कारण कारित होती है, तो संपूर्ण संस्वीकृति धारा 24 द्वारा अपवर्जित हो जाती है। न केवल अपराध की स्वीकृति का प्रमाण, बल्कि हेतुक, तैयारी और उसके पश्चात के आचरण जैसे अन्य प्रत्येक आपत्तिजनक तथ्य की स्वीकृति का प्रमाण भी धारा 24 द्वारा अपवर्जित हो जाता है। यह अभिनिर्धारित करना कि अन्य आपत्तिजनक तथ्यों की स्वीकृति का प्रमाण धारा 24 द्वारा वर्जित नहीं है, उक्त धारा को उसकी व्यावहारिक उपयोगिता और प्रभाव से वंचित करना होगा। यह सुझाव दिया जा सकता है कि धारा 24 की वर्जना अन्य स्वीकृतियों पर लागू नहीं होती है; परंतु यद्यपि वे साक्ष्य में प्राप्त किए जाने योग्य हैं, उनका कोई महत्व नहीं है क्योंकि वे उत्प्रेरणा, धमकी या वचन के कारण कारित हुई थीं। इस सुझाव के अनुसार, अन्य स्वीकृतियां सुसंगत तो हैं परंतु उनका कोई मूल्य नहीं है। परंतु हम यह मानते हैं कि धारा 24 के स्पष्ट अर्थान्वयन (व्याख्या) के अनुसार, किसी संस्वीकृतिपरक कथन में अंतर्विष्ट आपत्तिजनक तथ्यों की सभी स्वीकृतियों का प्रमाण उक्त धारा द्वारा

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपवर्जित है। इसी प्रकार, धारा 25 और 26 न केवल किसी अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी से की गई या पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए उसके द्वारा की गई अपराध की स्वीकृति के प्रमाण को वर्जित करती हैं, बल्कि संस्वीकृतिपरक कथन में अंतर्विष्ट अपराध से संबंधित सभी आपत्तिजनक तथ्यों की स्वीकृतियों को भी वर्जित करती हैं।

'17. थोड़ा सा विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि धारा 24 से 30 तक में प्रयुक्त 'संस्वीकृति' अभिव्यक्ति से तात्पर्य संपूर्ण संस्वीकृतिपरक कथन से है, जिसमें न केवल अपराध की स्वीकृति शामिल है बल्कि अपराध से संबंधित आपत्तिजनक तथ्यों की अन्य सभी स्वीकृतियां भी शामिल हैं। धारा 27, धारा 24, 25 और 26 द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को उस सूचना के उतने भाग के संबंध में आंशिक रूप से हटा देती है—चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आता हो या नहीं—जो उस सूचना के परिणामस्वरूप खोजे गए (बरामद किए गए) तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित है, बशर्ते कि धारा की अन्य शर्तें पूरी होती हों। धारा 27 स्पष्ट रूप से यह परिकल्पना करती है कि किसी बरामदगी का कारण बनने वाली सूचना अभियुक्त की संस्वीकृति का हिस्सा हो सकती है और इस प्रकार वह धारा 24, 25 और 26 के दायरे में आ सकती है। इस प्रकार धारा 27 यह दर्शाती है कि अपराध को स्वीकार करने वाले संस्वीकृतिपरक कथन में संस्वीकृति के भाग के रूप में अतिरिक्त सूचना भी अंतर्विष्ट हो सकती है। फिर, धारा 30 न्यायालय को किसी सह-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियुक्त के विरुद्ध किसी अन्य अभियुक्त की ऐसी संस्वीकृति पर विचार करने की अनुमति देती है जो न केवल स्वयं को बल्कि अन्य सह-अभियुक्तों को भी प्रभावित करती है। इस प्रकार धारा 30 यह दर्शाती है कि अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले विषय भी संस्वीकृति का अंग हो सकते हैं।

18. यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को दी जाती है और वह एक संस्वीकृतिपरक कथन गठित करती है, तो संस्वीकृति को साबित किए जाने का प्रतिषेध धारा 25 द्वारा किया गया है। संस्वीकृति में न केवल अपराध की स्वीकृति शामिल है, बल्कि संस्वीकृतिपरक कथन में अंतर्विष्ट अपराध से संबंधित आपत्तिजनक तथ्यों की अन्य सभी स्वीकृतियां भी शामिल हैं। संस्वीकृतिपरक कथन का कोई भी भाग साक्ष्य में प्राप्त किए जाने योग्य नहीं है, सिवाय उस सीमा तक जहाँ धारा 25 का प्रतिबंध धारा 27 द्वारा हटा दिया जाता है।'

(बल दिया गया)

23. अतः विधिक स्थिति यह है—मामले में किसी एक अभियुक्त द्वारा दी गई प्राथमिकी में अंतर्विष्ट कथन का उपयोग किसी भी रूप में दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि उस अभियुक्त के विरुद्ध भी जिसने इसे दर्ज कराया है, इस कथन का उपयोग तब नहीं किया

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जा सकता जब वह दोषमढने वाली (आपत्तिजनक) प्रकृति का हो; और न ही इसका उपयोग संपुष्टि या खंडन के प्रयोजनार्थ किया जा सकता है, जब तक कि इसका कर्ता स्वयं को विचारण में एक साक्षी के रूप में प्रस्तुत न करे। इसका अत्यंत सीमित उपयोग 1872 के अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत केवल इसके कर्ता के विरुद्ध एक स्वीकृति के रूप में है, और वह भी केवल तब जब वह स्वीकृति संस्वीकृति की कोटि में न आती हो।

24. पूर्वोक्त बात को सरल शब्दों में कहें तो, किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई संस्वीकृतिपरक प्रकृति की प्राथमिकी उसके विरुद्ध साक्ष्य में अग्राह्य होती है; सिवाय उस सीमा तक जहाँ यह दर्शाती है कि उसने अपराध के तुरंत बाद कोई कथन किया था, जिससे रिपोर्ट के कर्ता के रूप में उसकी पहचान होती है, जो कि 1872 के अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत उसके आचरण के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है। इसके अतिरिक्त, उसके द्वारा दी गई कोई भी ऐसी सूचना जो किसी तथ्य की बरामदगी का कारण बनती है, 1872 के अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत ग्राह्य होती है। तथापि, एक असंस्वीकृतिपरक प्राथमिकी 1872 के अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत एक स्वीकृति के रूप में अभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य होती है और सुसंगत होती है।

25. इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने जो पहली त्रुटि की थी, वह अपीलार्थी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी की विषयवस्तु को साक्ष्य के रूप में पढ़ना था। जैसा कि पहले संप्रेक्षण किया गया है, अपीलार्थी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी एक संस्वीकृति गठित करती है, और पुलिस के समक्ष

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किसी अभियुक्त द्वारा की गई कोई भी संस्वीकृति 1872 के अधिनियम की धारा 25 से बाधित होती है। उच्च न्यायालय के लिए अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सकीय साक्ष्य की संपुष्टि अपीलार्थी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के संस्वीकृतिपरक भाग से करने का कोई प्रश्न ही नहीं था।"

61. अतः, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वोक्त दो निर्णयों के प्रकाश में, अपीलार्थी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी की विषयवस्तु को साक्ष्य का एक ग्राह्य अंग नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार, ऐसे अग्राह्य साक्ष्य पर विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किए जा सकते हैं; तथापि, विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया इसके विपरीत दृष्टिकोण विधि के पूर्वोक्त सुस्थापित सिद्धांत के विरुद्ध है और इसलिए अपास्त किए जाने योग्य है, और तदनुसार अपास्त (रद्द) किया जाता है।

62. अब, यहाँ यह नोट करना आगे सुसंगत है कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि एवं दंडादेश के निष्कर्ष अभिलिखित करते समय, घटना के बारे में अभियुक्त को तथ्यों की विशेष जानकारी होने के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में अंतर्विष्ट प्रावधानों पर भी भरोसा किया है। विचारण न्यायालय ने विधि के उक्त प्रावधानों पर भरोसा करते हुए अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि एवं दंडादेश के निष्कर्ष दर्ज किए हैं, जो हमारे मत में प्रत्यक्ष दुर्बलता और अवैधता से ग्रस्त हैं और इसलिए अपास्त किए जाने योग्य हैं; क्योंकि विधि के सुस्थापित प्रतिपादनों के अनुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधानों का अवलंब

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लेने से पूर्व, अभियोजन के लिए यह आवश्यक है कि वह सबूत का भार अभियुक्त पर स्थानांतरित करने हेतु आधारभूत तथ्यों को स्थापित करे। यदि न्यायालय यह पाता है कि अभियोजन इन आधारभूत तथ्यों को स्थापित करने में विफल रहता है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 पर भरोसा करना अनुचित होगा, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलवीर सिंह, (2025) 8 एस.सी.सी. 545** के मामले में अभिनिर्धारित किया है।

63. इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मनोज रमेशलाल छाबड़िया बनाम महेश प्रकाश आहूजा और अन्य, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 451** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधानों का अवलंब लेते समय, यह साबित करने का भार अभियोजन पर था कि वह ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करे जो यह दर्शाए कि अभियुक्त अपने आवास पर या उसके निकट उपस्थित था ताकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधान आकृष्ट हो सकें; तथापि, वर्तमान मामले में, अभियोजन उक्त भार का निर्वहन करने में बुरी तरह विफल रहा है जिससे यह अनुमान निकाला जा सके कि संबंधित समय पर अभियुक्त-अपीलार्थी अपने आवास पर उपस्थित था या किसी ने अभियुक्त-अपीलार्थी को उसके घर से बाहर आते या अंदर जाते हुए देखा था; जिसके अभाव में हमारा यह मत है कि वर्तमान मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधानों का अवलंब नहीं लिया जा सकता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



64. यहाँ यह इंगित करना आगे प्रासंगिक है कि मृतका के मामा अभियोजन साक्षी-1 महेंद्र पाल शर्मा ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि अपीलार्थी राधा चरण अपनी पत्नी प्रमिला और भतीजी मंजू के साथ अपने घर में रहता था; तथापि, अभियोजन ने मंजू को एक साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है ताकि वह यह तथ्य साबित कर सके कि उसने घटना से पूर्व या घटना के समय अपीलार्थी को घर में उपस्थित देखा था, जिसके अभाव में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधानों का अवलंब नहीं लिया जा सकता है।

65. यहाँ यह नोट करना आगे प्रासंगिक है कि अभियोजन के साक्षियों के साक्ष्य में यह बताया गया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी राधा चरण के अतिरिक्त, उस परिसर में कई किरायेदार भी रहते थे जहाँ अभियुक्त-अपीलार्थी रहता था; तथापि, उक्त किरायेदारों में से न तो किसी से पुलिस द्वारा पूछताछ की गई है और न ही विचारण न्यायालय के समक्ष उनका साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है ताकि यह तथ्य साबित किया जा सके कि अपीलार्थी अपने घर में उपस्थित था या उसकी पत्नी की हत्या के संबंधित समय पर किसी ने अपीलार्थी को उसके घर से बाहर आते या अंदर जाते हुए देखा था। यहाँ यह इंगित करना आगे प्रासंगिक है कि अभियोजन द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह साबित करे कि किसी भी किरायेदार ने घटना के समय अपीलार्थी को उसके घर के निकट या भीतर उपस्थित देखा था। यहाँ तक कि अपीलार्थी राधा चरण की भाभी श्रीमती विमलेश को भी—जो उसी अड़ोस-पड़ोस में रहती थी और जिसकी चारदीवारी अभियुक्त-अपीलार्थी की चारदीवारी से जुड़ी हुई थी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



—अभियोजन द्वारा ऐसे कारणों से प्रस्तुत नहीं किया गया जो स्वयं उन्हीं को भली-भांति ज्ञात हैं। अतः, इन आधारभूत तथ्यों के अभाव में, हमारा यह मत है कि इस मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधानों का अवलंब नहीं लिया जा सकता है तथा उस पर दोषसिद्धि एवं दंडादेश आधारित करने वाले विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए इसके विपरीत निष्कर्ष तदनुसार त्रुटिपूर्ण, अवैध एवं विधि की दृष्टि से दूषित हैं और अपास्त किए जाने योग्य हैं।

66. वर्तमान मामले में, दूसरा आधार जिस पर विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि के निष्कर्ष दर्ज किए हैं, वह अपीलार्थी राधा चरण की निशानदेही पर अपराध के हथियार अर्थात् 'फरसे' की बरामदगी पर आधारित है। इस संबंध में, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिलिखित अभियुक्त-अपीलार्थी का संस्वीकृतिपरक कथन है; जिसमें अभियुक्त-अपीलार्थी राधा चरण ने यह कथन किया था कि अपराध का हथियार फरसा, जिससे उसने अपनी पत्नी की गर्दन पर प्रहार कर उसकी मृत्यु कारित की थी, कोठे के भीतर रखा हुआ है और वह उसे बरामद करा सकता है। तत्पश्चात्, उक्त कथन के आधार पर अन्वेषण अधिकारी अभियुक्त के साथ घटना स्थल पर पहुँचे तथा उक्त फरसे की बरामदगी हेतु दो साक्षियों—हर प्रसाद और रेशम लाल—को नियुक्त किया और उसके उपरांत, उनके समक्ष अभियुक्त राधा चरण कोठे के भीतर गया तथा एक रक्त-रंजित फरसा बाहर लेकर आया और उसे अन्वेषण अधिकारी को सौंप दिया; जिसके आधार पर अन्वेषण अधिकारी ने बरामदगी-पत्र तैयार किया और उस पर दोनों साक्षियों अर्थात् हर प्रसाद और रेशम लाल

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथा स्वयं अभियुक्त-अपीलार्थी राधा चरण के सम्यक रूप से हस्ताक्षर कराए, जिसे साबित कर 'प्रदर्श क-4' के रूप में चिह्नित किया गया है।

67. फरसे की बरामदगी को साबित करने के लिए, अभियोजन ने साक्षी हर प्रसाद का अभियोजन साक्षी-2 के रूप में परीक्षण कराया है; तथापि, जब हम उसके साक्ष्य का ध्यानपूर्वक परिशीलन करते हैं, तो हम पाते हैं कि उसने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि :-

"मुलजिम राधा चरण ने कोठे के अन्दर से निकाल कर पुलिस को मेरे सामने फरसा दिया था, वो फरसा खून से सना हुआ था। लेकिन मैं उस फरसे को नहीं पहचान पाऊंगा। गवाह को फरसा प्रदर्श-1 दिखाया गया तो उसने कहा कि मैं नहीं कह सकता कि जो फरसा मुलजिम ने निकालकर दिया था, वो यही फरसा था या नहीं। लेकिन जो फरसा मुलजिम ने निकालकर पुलिस को दिया था, उसे मौके पर ही दरोगा जी ने सील मोहर कर दिया था और उसकी लिखा-पढ़ी भी मौके पर वहीं की थी। उस पर मेरे भी गवाही के दस्तखत कराये थे। वो कागज प्रदर्श क-4 है जिस पर मेरे दस्तखत हो रहे हैं। उस समय मेरे साथ रेशम लाल भी मौजूद था। इस कागज पर उसने भी उसी समय मेरे सामने दस्तखत किये थे।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



68. प्रतिपरीक्षा किए जाने पर, अभियोजन साक्षी-2 हर प्रसाद ने यह साक्ष्य दिया कि उसने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कोई शपथ-पत्र नहीं दिया था और वह यह नहीं जानता कि शपथ-पत्र क्या होता है। लगभग ढाई माह पूर्व वह न्यायालय आया था परंतु इस न्यायालय में नहीं। उसे राधा चरण का भाई लेकर आया था, जिसने एक कागज पर कुछ लिखवाया था और उस पर हस्ताक्षर कराए थे परंतु वह यह नहीं जानता कि उक्त कागज पर क्या लिखा हुआ था। उसे यह भी याद नहीं है कि उसके द्वारा कितने कागजों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

69. आगे प्रतिपरीक्षा के दौरान, अभियोजन साक्षी-2 हर प्रसाद का ध्यान एक प्रार्थना-पत्र, जिसे '12-ख' के रूप में चिह्नित किया गया है, की ओर आकृष्ट किया गया; जिस पर उसने यह स्वीकार किया कि उसने उक्त प्रार्थना-पत्र पर दो स्थानों पर अपने हस्ताक्षर किए थे और एक बार उस पर स्वयं इसी न्यायालय में हस्ताक्षर किए गए थे, जब वह उक्त दस्तावेज दाखिल करने आया था। उसने आगे स्वयं में सुधार करते हुए यह बताया कि पूर्व में अपने साक्ष्य में उसने जो यह कहा था कि वह ढाई माह पूर्व इस न्यायालय में नहीं आया था, वह गलत है। अपने शपथ-पत्रों, जिन्हें '13-ख/3' और '13-ख/4' के रूप में चिह्नित किया गया है, की ओर उसका ध्यान आकृष्ट किए जाने पर उसने स्वीकार किया कि उन पर चार स्थानों पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। उसने आगे यह साक्ष्य दिया कि उसे याद नहीं है कि किसी अधिवक्ता ने पंजिका पर उसके हस्ताक्षर कराए थे या नहीं; तथापि, किसी भी अधिवक्ता द्वारा उसे कोई कागज पढ़कर नहीं सुनाया गया था। वह अधिवक्ता दाऊदयाल

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अग्रवाल (बचाव साक्षी-1) की पहचान नहीं कर सकता है; तथापि, न्यायालय के समक्ष कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहे जाने पर, उसने कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए थे।

70. इस प्रकार, उसके साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि यद्यपि उक्त साक्षी अपीलार्थी द्वारा बाहर लाए गए बताए जा रहे अपराध के हथियार अर्थात् फरसे की बरामदगी का एक महत्वपूर्ण साक्षी है; तथापि, न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देते समय उक्त साक्षी अत्यधिक असंगत और अस्थिर है। एक स्थान पर उक्त साक्षी कोई भी शपथ-पत्र दिए जाने से इनकार कर रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर वह उस शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर करने की बात स्वीकार करता है जो इस न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया था। अतः, एक असंगत साक्षी होने के कारण, अपराध के हथियार अर्थात् फरसे की बरामदगी के संबंध में उसका साक्ष्य अस्थिर है और तदनुसार, एक अविश्वसनीय साक्षी होने के नाते उसके साक्ष्य पर कोई भरोसा (विश्वसनीयता) नहीं किया जा सकता है।

71. अब, अपराध के हथियार अर्थात् फरसे की बरामदगी के अन्य साक्षी अभियोजन साक्षी-5 रेशम लाल हैं; तथापि, उन्होंने अपने साक्ष्य में अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है और स्पष्ट रूप से यह बताया है कि उनके समक्ष अपीलार्थी राधा चरण द्वारा अपराध के हथियार अर्थात् फरसे की कोई बरामदगी नहीं की गई थी। उन्होंने आगे यह साक्ष्य दिया कि अगले दिन, जिस दिन शव को ले जाया गया था, एक पुलिस कांस्टेबल उनके पास आया और कहा कि रक्त परीक्षण का कागज खराब हो गया है और उसे ठीक किया जाना है, इसलिए वह उक्त कागज पर पुनः हस्ताक्षर कर दें;

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिस पर उन्होंने उक्त कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। संबंधित समय पर, जब उन्होंने कागजों पर हस्ताक्षर किए थे, वह एक सादा (कोरा) कागज था।

72. 'प्रदर्श क-4' की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किए जाने पर, उन्होंने यह स्वीकार किया कि उस पर उनके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्ष्य के आधार पर, उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया और तत्पश्चात्, लोक अभियोजक को उनकी प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति दी गई। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह साक्ष्य दिया कि राधा चरण ने अपने कोठे के भीतर से अपराध का हथियार अर्थात् फरसा बरामद नहीं कराया था और पुलिस ने केवल दो स्थानों पर उनके हस्ताक्षर कराए थे। उन्होंने अन्वेषण अधिकारी को ऐसा कोई भी कथन दिए जाने से इनकार किया कि अभियुक्त राधा चरण ने कोठे के भीतर से एक रक्त-रंजित फरसा बरामद कराया था, जिसका बरामदगी-पत्र अन्वेषण अधिकारी द्वारा तैयार किया गया था और उसे सील किया गया था।

73. उनके पूर्ववर्ती कथन की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किए जाने पर, उन्होंने अन्वेषण अधिकारी को ऐसा कोई भी कथन दिए जाने से इनकार किया। उन्होंने आगे स्पष्ट रूप से यह साक्ष्य दिया कि वर्तमान मामले में, उन्होंने एक शपथ-पत्र दिया था कि राधा चरण द्वारा पुलिस को कोई फरसा नहीं सौंपा गया था और वह स्वयं उक्त शपथ-पत्र देने उपस्थित हुए थे; तथा उन्होंने आगे इस सुझाव का खंडन किया कि वह राधा चरण को बचाने के लिए मिथ्या (झूठा) साक्ष्य दे रहे हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



74. अब, जब हम बचाव साक्षी-1 दाऊदयाल अग्रवाल के साक्ष्य के प्रकाश में अभियोजन साक्षी-2 हर प्रसाद और अभियोजन साक्षी-5 रेशम लाल के साक्ष्य का आगे विश्लेषण करते हैं—जिन्होंने अपने कथन में स्पष्ट और साफ तौर पर अभियोजन साक्षी-2 हर प्रसाद तथा अभियोजन साक्षी-5 रेशम लाल, दोनों के द्वारा एक प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र दाखिल किए जाने के तथ्य को दोहराया है, जिन्हें 'प्रदर्श ख-2', 'ख-3' और 'ख-4' के रूप में चिह्नित किया गया है तथा जिनमें स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार किया गया है कि राधा चरण ने उनके समक्ष अपराध का हथियार अर्थात फरसा पुलिस को सौंपा था—तो यह अभियुक्त-अपीलार्थी राधा चरण द्वारा अपराध के हथियार अर्थात फरसे की बरामदगी के तथ्य के संबंध में अभियोजन की कहानी को अत्यधिक अस्थिर और संदेहपूर्ण बना देता है; जो अभियोजन की कहानी में एक गंभीर खामी उत्पन्न करता है और इसे अविश्वसनीय बना देता है।

75. यहाँ यह इंगित करना आगे प्रासंगिक है कि अभियोजन साक्षी-2 हर प्रसाद और अभियोजन साक्षी-5 रेशम लाल द्वारा शपथ-पत्र दिए जाने के तथ्य को अधिवक्ता दाऊदयाल अग्रवाल (बचाव साक्षी-1) द्वारा भी साबित किया गया है, जिन्होंने उनके शपथ-पत्र तैयार किए थे, उन पर उनकी शपथ दिलाई थी और उन्हें न्यायालय में दाखिल किया था; जिसे साबित कर 'प्रदर्श ख-3' के रूप में चिह्नित किया गया है। रेशम लाल और हर प्रसाद का वकालतनामा तथा साथ ही एक प्रार्थना-पत्र, जिन्हें 'प्रदर्श ख-1' और 'ख-2' के रूप में चिह्नित किया गया है और जो अभियुक्त-अपीलार्थी के घर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से उनके समक्ष फरसे की बरामदगी के तथ्य से इनकार करते हैं, भी अभिलेख पर लाए गए हैं और वे साक्ष्य का एक सुसंगत अंग हैं।

76. पूर्वोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि जिस तरीके से अभियुक्त अपने घर के कोठे के भीतर से अपराध का हथियार अर्थात फरसा बाहर लेकर आया और उसे अन्वेषण अधिकारी को सौंपा, जिसने उसका बरामदगी-पत्र तैयार किया—जिसे साबित कर 'प्रदर्श क-4' के रूप में चिह्नित किया गया है—वह हमारे मत में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत यथा-परिकल्पित एक वैध बरामदगी की आवश्यकता को पूर्ण नहीं करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत एक वैध बरामदगी के लिए, अपराध का हथियार या तो अभियुक्त के कब्जे से या उसकी निशानदेही पर बरामद होना चाहिए था; तथापि, वर्तमान मामले में, यह सुस्वीकृत तथ्य है कि अपराध का हथियार अर्थात फरसा अभियुक्त द्वारा कोठे से बाहर लाया गया था, जबकि अन्वेषण अधिकारी और साक्षी बाहर चौखट पर खड़े थे। इस प्रकार, वह सटीक स्थान, जहाँ से अपराध के हथियार अर्थात फरसे की बरामदगी की गई है, वर्तमान मामले में अकाट्य और स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं हुआ है; जो अपराध के हथियार अर्थात फरसे की बरामदगी को आगे संदेहास्पद बना देता है। (अन्वेषण अधिकारी के) शब्दों में (उद्धरण):-

"जिस समय मुलजिम अन्दर कोठे में गया तो मैं उस दरवाजे पर खड़ा हुआ था जो दोनों

खनों के बीच की दीवार में है यानी उस खन में खड़ा था, जहाँ पर लाश पड़ी थी, वहाँ से

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वो फरसा दिखाई नहीं दे रहा था। वो फरसा उत्तरी-पश्चिमी कोने में रखा हुआ था। मैंने ये जानने की जरूरत नहीं समझी कि फरसा कोने में किसी चीज में छिपा रखा था या वैसे ही रखा हुआ था।"

77. अपराध के हथियार अर्थात फरसे की बरामदगी और उसे रासायनिक परीक्षण हेतु भेजे जाने के लिए सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने के तथ्य के संबंध में, यहाँ यह इंगित करना प्रासंगिक है कि स्वयं अभियोजन के मामले के अनुसार भी, अपराध का हथियार अर्थात फरसा दिनांक 02.02.1983 को प्रातः लगभग 10:00-11:00 बजे अभियुक्त द्वारा अन्वेषण अधिकारी को सौंपा गया दर्शाया गया था और तत्पश्चात उसे पुलिस थाने में रखा गया तथा दिनांक 03.02.1983 को मालखाने भेजा गया; तथापि, वह दिनांक 03.02.1983 को ही सायं 5:45 बजे वापस लौटा दिया गया था और उसके उपरांत, दिनांक 10.02.1983 को मालखाने भेजा गया। अभियोजन साक्षी-3 कमल किशोर मिश्रा द्वारा इस बात का कोई भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि दिनांक 02.02.1983 से 10.02.1983 तक की अवधि के मध्य अपराध का हथियार अर्थात फरसा कहाँ रखा गया था; जो अभियुक्त से अपराध के हथियार अर्थात फरसे की बरामदगी की सत्यता पर तथा उसकी रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है, जिस पर दोषसिद्धि अभिलिखित करते समय विचारण न्यायालय द्वारा पूर्ण भरोसा किया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



78. अतः, मामले के पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में, यहाँ तक कि अपीलार्थी की निशानदेही पर रक्त-रंजित फरसे की बरामदगी के तथ्य को तथा 'विधि विज्ञान प्रयोगशाला' (फॉरेंसिक) की रिपोर्ट को भी अभियोजन द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अकाट्य रूप से साबित किया गया नहीं कहा जा सकता है।

79. यहाँ यह इंगित करना आगे प्रासंगिक है कि अन्यथा भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई मामलों में प्रतिपादित विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि संपोषक (संपुष्टिपरक) साक्ष्य के अभाव में मात्र हथियार की बरामदगी और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट—जैसा कि वर्तमान मामले में है—अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है; जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **गोविंद बनाम हरियाणा राज्य (2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 2456)** के मामले में अभिनिर्धारित किया है।

80. पूर्वगामी विवेचनाओं के दृष्टिगत, हमारा यह मत है कि अभियोजन अपीलार्थी के विरुद्ध अपने मामले को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है; तथा तदनुसार, अपीलार्थी को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्ध और दंडादेशित करने वाले विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को अपील स्वीकार करते हुए अपास्त किया जाता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



81. परिणामस्वरूप, वर्तमान दांडिक अपील सफल होती है और एतद्वारा स्वीकार की जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 19.01.1984 अपास्त (रद्द) किया जाता है। अपीलार्थी को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है और यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो, तो विचारण न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437-क के अनुपालन के अधीन उसे तत्काल रिहा किया जाए।

82. सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालन हेतु इस निर्णय एवं आदेश की एक प्रति, विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाए।

(देवेन्द्र सिंह-प्रथम, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

11 फरवरी, 2026

नदीम

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दांडिक अपील संख्या - 235 वर्ष 1984

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



राधा चरण शर्मा

.....अपीलार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

अपीलार्थी के अधिवक्ता : विशेष कुमार (न्यायमित्र)

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-प्रथम

1. श्री विशेष कुमार, अधिवक्ता को अपीलार्थी की ओर से वर्तमान दांडिक अपील में बहस करने हेतु न्यायमित्र नियुक्त किया गया था। उन्होंने न्यायालय को बहुमूल्य सहायता प्रदान की है।
2. वर्तमान दांडिक अपील की सुनवाई में उनके द्वारा प्रदान की गई सक्षम सहायता के लिए, न्यायालय श्री विशेष कुमार को शुल्क के रूप में भुगतान किए जाने हेतु 15,000/- रुपये की धनराशि निर्धारित करता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. उक्त शुल्क का भुगतान इस न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा आज से एक माह की अवधि के भीतर उन्हें किया जाएगा।

(देवेन्द्र सिंह-प्रथम, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

11 फरवरी, 2026

नदीम

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।